राजस्थान विधान सभा

नवमी बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बज कर ३६ मिनट पर प्रारंभ हुआ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्षः-

प्रश्न संख्या १०

श्री कपिलदेव अग्रवालः–Will the Chief Minister please reply:—

(*a*) What effective steps have been taken to check corruption in Government services ?

(*b*) How many cases of corruption have been detected against officers getting more than Rs. 250 as their salaries and what action, if any, has been taken against them.

उत्तर

श्री टीकाराम पालीवालः–(अ) राजस्थान के निर्माण के पूर्व भ्रष्टाचार विरोधी विभाग केवल जयपुर राज्य में ही था। राज्य के चारों ओर से आने वाली शिकायतों की जांच करने के लिए इस शाखा में बहुत कम कर्मचारी थे। पिछले अगस्त से इन्सपेक्टर जनरल, पुलिस के सीधे नियंत्रण में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा का संगठन किया गया है, जिसमें मौके पर काम करने वालों की भी व्यवस्था है।

(ब) २५०) रु० मासिक से अधिक पाने वाले ३४ अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई थी। इनमें से २५ के विरुद्ध मामले या तो साबित नहीं हो सके अथवा बनावटी या निर्मूल पाये गये। एक अधिकारी को त्याग-पत्र देने का निर्देशन किया गया, तीन को चेतावनी दी गई, दो के विरुद्ध नियमानुसार जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई, दो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की गई और एक अफसर के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये बिना ही, मृत्यु हो गई।

श्री कपिलदेवः—यदि कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो उसकी जांच का क्या तरीका है; ताकि जल्दी से जल्दी उसकी तहकीकात हो सके ?

श्री टीकाराम पालीवालः—सुना नहीं गया ।

श्री कपिलदेवः—अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो उसकी शिकायत की जाती है। उन शिकायतों की जांच का क्या तरीका है जिससे जल्दी से जल्दी तहकीकात हो सके ।

श्री टीकाराम पालीवालः—शहादत देना और आंकड़े इकट्ठे करना ।

श्री कपिलदेवः - क्या यह सही है कि एन्टी करप्शन कमेटी और उच्चाधिकारियों को, बावजूद दस दस दरख्वास्तें देने पर भी. जांच नहीं की जाती है ? क्या उन दरख्वास्तों को अन्य अफसरों के पास भेज दिया जाता है ।

श्री टीकाराम पालीवालः —उनके पास तो नहीं भेजी जाती हैं । साथ ही साथ हरएक शिकायत की जांच करवाना भी तो उचित नहीं मालूम होता ।

श्री कपिलदेवः—मैंने तो इसीलिए अर्ज किया था कि तरीका क्या है, जांच करने का ?

श्री टीकाराम पालीवालः —जिस किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत पहुंचती है तो उसकी जांच कराई जाती है।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—क्या मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि एन्टी-करप्शन कमेटी का जो निर्माण किया गया है वह उनकी दृष्टी में इतना पर्याप्त है कि वह सब प्रकार के राज्याधिकारियों के खिलाफ इन्क्वायरी करने की क्षमता रखती है ।

श्री टीकाराम पालीवालः—उस कमेटी के अधिकारों की कोई सीमा नहीं है कि अमुक अमुक शिकायतों की ही जांच करे ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे इस हाउस के दूसरे सदस्यों को, जो उनके दल के नहीं हैं, भी एन्टीकरप्शन कमेटी में नियुक्त करने का विचार रखते हैं ।

श्री टीकाराम पालीवालः—वह तो किसी दल विशेष की कमेटी नहीं है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—यदि मैं मेरे प्रश्न को फिर दोहराऊं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वह कमेटी किसी दल की नहीं है तो क्या मुख्य मंत्रीजी यह उचित नहीं समझते कि उस कमेटी पर नोन–ओफिशियल मेम्बर्स, जो एसेम्बली के मेम्बर्स हों, को भी स्थान दिया जाय ।

श्री टीकाराम पालीवालः—इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—इस प्रश्न पर कब तक विचार समाप्त हो सकता है ।

श्री टीकाराम पालीवालः—मैंने यह कहा है कि विचार किया जा सकता है । मैंने यह नहीं कहा है कि अमुक समय तक विचार समाप्त हो सकता है।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर विचार कब तक कर पायेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवालः—मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इस ओर विचार किया जा सकता है। "कब तक विचार कर लिया जायगा" इस ओर अब तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—क्या यह उचित नहीं था कि अब तक इस पर विचार कर लिया जाता ?

श्री कपिलदेवः—क्या मुख्य मंत्रीजी ने यह अश्वासन दिया था कि हर जिले में एक एक एन्टीकरप्शन कमेटी बनाई जाने की योजना है; उस सम्बंध में क्या किया जा रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवालः—मैंने यह नहीं कहा था कि हर जिले में एक एक एन्टीकरप्शन कमेटी बनाई जावेगी; किन्तु जहां तक मुझे याद है मैंने यह कहा था कि कुछ अधिकार दिये गये हैं; जिनको मैं यहां डिस्क्लोज नहीं करना चाहता ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई इस सम्बन्ध में कायदा बनाया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवालः—बनाया गया है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—क्या वह हाउस की जानकारी के लिए रखा जा सकता है, टेबल पर ?

श्री टीकाराम पालीवालः—कुछ कायदे ऐसे हैं जिनको मैं यहां डिस्क्लोज करना उचित नहीं समझता ।

श्री अध्यक्षः—नेक्स्ट ।

Page No.4

प्रश्न संख्या ६१

Shri Kapil Deo Agrawal.—Will the **Revenue Minister** please reply:—

(a) Is it a fact that two years have passed when settlement operations were carried out in nearly 30 villages (Bhodoli Ganeshar, Manvda etc.) of Nim-ka-Thana (Sub-Div.) of the Sikar District.

(b) Is it a fact that settlement parchas have not so far been distributed in spite of Public assurances by the Hon'ble Revenue Minister on 25.6.52 at Sirohi and by the Hon'ble Chief Minister on 19.8.52 at Neem-ka-Thana.

(c) Will the Government give a definite date upto which these settlement parchas will be finally distributed?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-(१) हां

(२) खालसे के हिस्से के गांवों में पर्चे तकसीम किये जा चुके हैं किन्तु जागीर इलाके के पर्चे भोमियों की ओर से पहले दावे होने के कारण अब तक पूरे नहीं किये जा सके।

(३) पर्चे ३९ सर्वेड गांवों में फरवरी १९५३ तक बांट दिये जावेंगे।

श्री कपिलदेव:—क्या यह सही है कि जब सेटलमेन्ट के अधिकारी सर्वे करने गये थे तो उनकी कलम को तोड़ दिया गया था और उनको वहां से भगा दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं पहले ही कह चुका हूं कि भोमियों के कारण वह काम नहीं किया जा सका।

श्री कपिलदेव:-मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने अधिकारियों को वहां से भगा दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—किसी प्रकार कि कार्यवाही की गई होगी। वैसे कोई खास बात सामने नहीं आई है।

श्री कपिलदेव:-की गई होगी या की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया:—यदि इसकी जानकारी करना चाहते हैं तो मैं इसकी जानकारी के लिए, बाद में जानकारी करके हाउस की टेबल पर रख सकता हूं।

श्री कपिलदेव:—क्या सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने यह भी निवेदन किया है कि सेटलमेन्ट करते वक्त मिलिटरी का इन्तजाम करा दिया जाय?

श्री मोहनलाल सुखाडिया:—मिलिटरी के इन्तजाम की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री कपिलदेव:—तो कब तक यह सेटलमेन्ट करा दिया जावेगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं पहले ही कह चुका हूं कि फरवरी, १९५३ तक पर्चियां बांट दी जावेंगी।

श्री कपिलदेव:—कितने गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक पर्चियां तकसीम नहीं हुई हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं इस सम्बन्ध में अभी तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या ९२

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—Will the **Minister for Industries** please inform:-

(a) What is the total amount of lease money which is outstanding against the various mining contractors?

(b) What action, if any, has been taken to realise the said amount?

(c) What is the effective procedure applied to realise the amount?

श्री रामकिशोर व्यास:—उद्योग मंत्री बकाया की कुल रकम मय सूद के साढे आठ लाख रुपये हैं। यह रकम लेन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जाती है। कभी कभी जमानत भी जब्त करली जाती है और हर तरह से वसूल करने की कोशिश की जाती है। इसे रियलाइज (वसूल) करने का इफेक्टिव प्रोसीजर (कारगर तरीका) तो राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट में जो दिया हुआ है; उसी के अनुसार किया जाता है।

श्री कपिलदेव:—यह क्या बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले १२ महीनों में बकाया रकम वसूल की गई है?

श्री रामकिशोर व्यास:—आप अपने प्रश्न को फिर से दोहराने की कृपा कीजियेगा।

श्री कपिलदेव:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले १२ महीनों में बकाया वसूल हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास:—यह एक दूसरा प्रश्न है, इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री कपिलदेव:—यह प्रश्न के साथ ही का सवाल है। जब एक प्रश्न पूछा गया है तो सप्लीमेन्ट्री प्रश्न की आशा भी करनी ही चाहिये थी ?

श्री रामकिशोर व्यास:—आप का प्रश्न है १२ महीनों की बकाया की वसूली के बारे में; इसका उत्तर देने के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री कपिलदेव:—क्या आप बता सकते हैं कि यह बकाया कब से शुरू हुई है और कितने दिन की है ?

श्री रामकिशोर व्यास:—यह बात आपके प्रश्न में नहीं थी इसलिए इसका उत्तर देने के लिये नोटिस की आवश्यकता है। आज के दिन जो बकाया बाकी है उसकी संख्या दी गई है।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३

श्री कपिलदेव अग्रवाल:--Will the **Chief Minister** please inform:--

(a) How many cases were registered in the year 1951-52.

(b) How many of them were convicted upto the High Court ?

उत्तर

श्री टीकाराम पालीवाल:-- मुख्य मंत्री

(अ) १९५० में २६६८०
१९५१ में २६१३३
अगस्त १९५२ में १४७००

(ब) १९५० में ४५५२, १९५१ में ३२०३ और अगस्त १९५२ तक १७५१. जो सजायें उच्च न्यायालय द्वारा दी गईं उसकी सूचना समयाभाव के कारण प्राप्त नहीं हो सकी है।

प्रश्न संख्या ६४

श्री कपिलदेव अग्रवाल:-Will the **Chief Minister** please inform:--

(a) What was the criterion in selection of "Hard Cases" of those officers who were rejected in R.A.S. ?

(b) What was the criterion in recommending the names of the officers for probation as R.A.S. Officers ?

(c) Does the Government know that there is great resentment among officers on the publication of the list in the Rajasthan Gazette September 2, 1950.

उत्तर

श्री टीकाराम पालीवाल:–जो लोग पहले आर.ए.एस. अफसरों के चुनाव में नहीं आये थे उनमें से हार्ड केसेज का निम्न प्रकार से चुनाव हुआ:-

(ख) उन लोगों को जिन्हें आर.ए.एस. अफसरों के चुनाव बोर्ड में पहले अस्वीकार कर दिया था, अपनी योग्यता साबित करने का दुबारा अवसर दिया गया। उनसे फिर आवेदन पत्र मांगे गये और उन लोगों के नाम चुनाव बोर्ड के पास दुबारा जांच के लिये भेजे गये जो एकीकरण के दिन स्थाई तौर से अथवा ओफिशियेटिंग रूप से बरावर उस तारीख से बराबर एक साल पहले आर.ए.एस.के बराबर पोस्ट पर कार्य करते थे और जिन्हें पहले चुनाव बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया हो; उन्हें फिर आवेदन पत्र देने को कहा गया।

(ग) पुरानी रियासतों के गजेटेड ओफिसर जिनका वेतन एकीकरण के समय स्थाई तौर से २५०)रु. माहवार या उससे अधिक था और जिन्हें पहले चुनाव बोर्ड ने योग्य नहीं समझा और जिन्होंने दुबारा आवेदन पत्र दिया था उन्हें दुबारा चुनाव बोर्ड के सामने भेजा गया था।

प्रश्न संख्या ६५

श्री अलीमुद्दीन:—Will the **Rehabilitation Minister** be pleased to state that since the office of the Custodian has shifted to Alwar how many appeals and revisions have been filed upto this date and how many of the pending appeals and revisions have been dismissed in default due to the Muslims having not gone there and there being no Muslim Lawyer to appear on their behalf.

उत्तर

श्री अमृतलाल यादव:–यह कार्यालय २२ जुलाई सन् १९५२ को अलवर में खुला। ७ अक्टूबर १९५२ तक ७० अपीलें और ३३ रिविजन पिटीशन्स आई। ये आंकड़े यह बताते हैं कि १ जनवरी से १२ जुलाई १९५२ तक प्रति माह २८ अपीलें तथा १३ रिविजन पिटीशन्स फाइल हुई। अपीलें कुल १६७ फाइल हुई और उस समय कुल रिविजन पिटीशन्स ५५ थी। इस कार्यालय के अलवर से आने के पहले इन अंकों से मालूम होता है कि २६ अपीलें और ९ रिविजन पिटीशन्स प्रति माह फाइल हुई। (ख) तीन केसेज हुए उनमें से

८ सितम्बर सन् ५२ को २ डिस्मिस हुए जिनमें से एक तो था जयपुर का और दूसरा टोंक का । टोंक के केस में श्री रसीद–उल्लाह खाँ प्लीडर थे ।

श्री धर्मपाल:–अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न संख्या ९६ को पेश करने से पहले निवेदन करूंगा कि मेरे प्रश्न कल जो छूट गये थे उनमें से एक प्रश्न के समय मैं अनुपस्थित था, पर दूसरे प्रश्न के समय उपस्थित था; इसलिये उस प्रश्न के उत्तर की आशा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष:–रूल ४१ में लिखा है कि—" If on a question being called it is not asked by the member giving notice of it or in his absence by any other member on his behalf, the Minister Concerned may cause the answer to be printed in the official report of the debates of the Assembly " एक बार जब प्रश्न कॉल (Call) कर लिया जाता है तो उसका उत्तर हाउस की टेबल पर रख दिया जाता है। आप के प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्रीजी ने टेबल पर रखा या नहीं; यह वे बतलायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–एक प्रश्न का सम्बन्ध मुझसे था; मैंने उत्तर भेज दिया है ।

प्रश्न संख्या ९६

श्री धर्मपाल:–क्या माननीय राजस्व मंत्री, राजस्थान सरकार, यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) राजस्थान में जिलावार बेदखलियों के मुकद्दमें पुलिस अथवा माल में कितने आज तक दर्ज हुए हैं;

(ख) उनमें से कितनों का फैसला हुआ है;

(ग) कितने एक साल से ऊपर वाले अभी अदालतों में चल रहे हैं, तथा

(घ) सरकार शीघ्र कब्जा दिलवाने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री):—राजस्व विभाग में जिलेवार बेदखलियों के मुकद्दमों और फैसलों की सूचि इस प्रकार है। पुलिस विभाग में कितने मुकद्दमें दायर हुये हैं; उसका इस विभाग को पता नहीं ।

	दायरा	फैसला
जयपुर	७८७	४५८
सवाई माधोपुर ..	२७१	२४६
टोंक	२४५	२१५
झुन्झुनू	३२८	२४०
सीकर	२९५	२२८
अलवर	५९८	५००
भरतपुर	१२६५	९७६

नोटः—बाकी डिविजनों के जिलेवार आंकड़े नहीं मिल सके।

उदयपुर डि० ..	२११	१०३
जोधपुरः—		
जालोर स० डि० ..	९	२
नागौर ,, ..	०	०
परबतसर ,, ..	५८	४
मकराना ,, ..	५७	३
डीडवाना ,, ..	६६	४
मेड़ता ,, ..	९७	१५

इस डिविजन के बाकी स्थानों से आंकड़े अभी तक नहीं आये।

बीकानेर डि०—		
राजगढ स० डि० ..	२४	३
रतनगढ ..	४३	१३

कोटा डिविजनः—इस डिविजन के आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

एक साल के उपर वाले मुकद्दमे उदयपुर डिविजन में १५ हैं; और स्थानों से अभी समाचार प्राप्त नहीं हुये हैं।

राजस्थान प्रोटेक्शन आफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स में हिदायत इस विषय पर स्पष्ट है और समय समय पर सरकार से भी हिदायतें जारी होती रहती हैं कि कब्जा जल्दी से जल्दी जीती हुई पार्टी को दिलाया जावे।

श्री गुरुदयालसिंह संधुः—क्या यह समझना चाहिये कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक भी मुकद्दमा फैसल नहीं हुआ?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—समयाभाव के कारण वहां से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–जितने सवाल गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे जाते हैं क्या उन सब के बारे में सूचना नहीं आती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैं समझता हूं, ऐसी बात नहीं है। कल ही एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–इससे पहले भी मैंने कई प्रश्न पूछे थे पर उनके बारे में भी आपने कहा कि सूचना नहीं मिल सकी।

श्री विजयसिंह:–क्या सरकार यह जानती है कि Rules में यह Specially mentioned है कि इजेक्टमेन्ट अधिकारी R. A. S. के केडर का होना चाहिए; फिर भी जयपुर में Non R.A.S. तहसीलदार को रखा गया है। इसकी क्या वजह है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–आपका मतलब क्या है, मैं नहीं समझा। अगर R.A.S. Officer नहीं हो और आवश्यकता हो तो Non-R. A. S. Officer को भी रखा जाता है।

श्री विजयसिंह:–मेरा मतलब यह है कि जब यह Specially mentioned है कि R.A.S. Officer ही रखा जाय तो जयपुर में Non-R.A.S. तहसीलदार को क्यों रखा गया है।

श्री अध्यक्ष:–यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता।

प्रश्न संख्या ९७

श्री शाह अलीमुद्दीन:–Will the **Minister for Medical and Public Health** be pleased to state.—

(*a*) Is it a fact that there are only 8 Unani dispensaries as compared with more than 350 Ayurvedic Dispensaries in Rajasthan.

(*b*) There is no Unani Hospital with arrangements of Indoor Patients as against about 6 such Indoor Ayurvedic Hospitals.

(*c*) Out of a total grant of about 11¼ Lakhs for Ayurvedic and Unani medicines the amount spent on Unani System is only approximately Rs. 2,900/-.

(*d*) There is not even a Deputy Director for Unani as against a Director and a Deputy Director for the Ayurvedic System.

(e) Kindly state as to what steps, he proposes to take in future to make this system more useful to meet the demand of a very large number of persons who prefer this Unani System over other systems.

श्री रामकिशोर व्यास:-(क) ७ यूनानी और ३४० आयुर्वेदिक अस्पताल हैं।

(ख) दो Indoor रोगियों के आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, एक उदयपुर में और दूसरा बूंदी में। यूनानी का ऐसा कोई अस्पताल नहीं है।

(ग) राजस्थान सरकार ने आयुर्वेदिक विभाग के लिए कुल १३,२४,५९७) रुपये जिनमें से राजस्थान आयुर्वेदिक बोर्ड के लिए ९,२००), कालेज के लिए ११,७३००), फार्मेसी के लिए २,२८,६४९) और आयुर्वेदिक दवाखानों के लिए जिनमे Naturopathy और होमियोपेथी दवाखाने भी शामिल हैं ७,६६,९७७) रु० तथा यूनानी दवाखानों के लिए २७,२१९) स्वीकृत किये हैं।

(घ) यूनानी और आयुर्वेदिक विभाग एक होने के कारण Director और Dy. Director एक ही है। सिर्फ यूनानी के लिए ऐसे पद का निर्माण करना उचित मालूम नहीं होता।

(ङ) अलबत्ता सुव्यवस्था के लिए सरकार समुचित प्रबन्ध करेगी।

श्री शाह अलीमुद्दीन अहमद:—क्या यूनानी के लिए मुस्तकिल Dy. Director नहीं रखा जा सकता ?

श्री रामकिशोर व्यास:—आयुर्वेदिक और यूनानी के लिए एक Dy. Director मुस्तकिल है; अलहदा रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री शाह अलीमुद्दीन अहमद:—क्या Dy. Director यूनानी सिस्टम से वाक़िफ है?

श्री रामकिशोर व्यास:—इन्सपेक्टर जानता है।

श्री कपिलदेव:—क्या ऐसे दवाखाने किन्हीं परिस्थितियों के अनुसार खोले जाते ह ?

श्री रामकिशोर व्यास:—जहां जरूरत होती है उसी के अनुसार खोले जाते हैं।

श्री कपिलदेव:—क्या सीकर झुन्झुनू इलाके में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां ऐसे दवाखाने खोलने की आवश्यकता हो ?

श्री रामकिशोर व्यास:—मालूम करने से मालूम होगा।

Page No.12

श्री कपिलदेवः—यनानी दवाखाने कायम किए जाते है तो क्या आपसे लिस्ट हासिल की जाती है या आपकी Knowledge के बिना ही ऐसा किया जाता है?

श्री रामकिशोर व्यासः—ऐसा सरकार की स्वीकृति से ही होता है ।

श्री कपिलदेव ।—सरकार का सवाल नहीं; आपकी जानकारी में रहता है या नहीं ।

श्री रामकिशोर व्यासः—में सरकार का एक पार्ट हूं; अतः नये औषधालय खोलने के हर कागज मेरे पास आते है ।

प्रश्न संख्या ६८

श्री शाह अलीमुद्दीनः—Will the **Rehabilitation Minister** be pleased to state reasons for the shifting of the office of the Custodian of evacuee property from Jodhpur to Alwar recently ?

उत्तर

श्री अमृतलाल यादवः—केन्द्रीय सकार की राय से प्रशासन की सुविधा के लिए यह विभाग जोधपुर से अलवर स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री कपिलदेवः—क्या इस सुविधा को खुलासा करके बता सकेंगे ?

श्री अमृतलाल यादवः—में पहले खुलासे से बता चुका हूं ।

श्री कपिलदेवः—फिर रोशनी डाल दीजिये ?

श्री अमृतलाल यादवः—उसमें मैंने यह अर्ज किया था कि यह दफ्तर जब से यहां आया है यहां कितने केसेज आए हैं और वहां कितने कम थे । काम यहां कितना ज्यादा बढा है, यहां कितनी Evacuee सम्पत्ति है और कस्टोडियन के पास आने जाने में यहां से सुविधा रहती है ।

श्री कपिलदेवः—क्या माननीय मंत्रीजी के कहने की मंशा यह है कि अलवर में यह विभाग रहने से मुकद्दमे बाजी कम हो जाय ?

श्री-अमृतलाल यादवः—कस्टोडियन का ताल्लुक भारत सरकार से है और देहली अलवर से नजदीक है।

श्री चंदनमलः—क्या वकीलों को रुपये दिलाने के लिए ही अलवर ओफिस रखा गया ?

श्री अध्यक्ष:--Order ! Order !.

श्री हरिकृष्ण व्यास:–शासकीय सुविधा का खयाल रखते हुए लोगों की सुविधा का खयाल भी सरकार रखती है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव:–अवश्य ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–लोगों की सुविधा का खयाल रखते हुए क्या फिर जोधपुर लाने का विचार किया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव:–विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न संख्या ६६

श्री हरिकृष्ण व्यास:–Will the **Ministerfor Home Affairs** be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that some six prisoners namely Shankeria and others under-trial Jail lock-up, undergoing trial for capital offences, escaped from the Ganganagar Jail on the evening of the 21st September, 1952. ?

(*b*) Is it a fact that contrary to usual practice, these prisoners did not have fetters on their feet ?

(*c*) Is it a fact that contrary to Jail rules all such dangerous prisoners were kept in the same barrack ?

(*d*) Is it a fact that one Mr. Bhuria, the person undergoing trial for harbouring these offenders, met Shankeria in Jail on the day previous to the escape ?

(*e*) Will the Government consider to order very high level investigations to find out how this serious thing happened ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–(a) हां। केवल चार व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोपों का मुकद्दमा चल रहा था ।

(b) Prisons Act, १९५० की धारा ५६ और ५९ के अन्तर्गत हथकड़ी-बेड़ी लगाने के नये कायदों के माफिक ऐसे ही लोगों के हथकड़ी बेड़ी लगाई जाती थीं जिनके लिए मजिस्ट्रेट का निर्णय होता था या जो भगोड़े होते थे। उनके भागने के वक्त बेड़ियां नहीं पड़ी थीं, पर अब बेड़ियां पड़ी हैं ।

(c) खतरनाक कैदियों को एक साथ रखने को मनाही जेल रूल्स में नहीं है । सुरक्षा की दृष्टि से और छोटी छोटी अलग कोटड़ियें उपलब्ध होने की दशा में उनको अमूमन एक साथ नहीं रखा जाता ।

(d) सरकार को इस कदर की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है । इसकी जांच की जायगी ।

(e) सभी छहों भगोड़े कैदी पुलिस द्वारा पीछा किये जाने पर पकड़ लिए गए और इस सम्बन्ध में किसी उच्च स्तर पर जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । फिर भी इस वारदात से पूर्ण जागरूकता की कमी प्रतीत हुई है और भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इन्सपेक्टर जनरल पुलिस और जेल्स का ध्यान खींचा गया ।

श्री एच. के. व्यास:-क्या मुख्य मंत्रीजी कृपया बतायेंगे कि जब आम तौर से ऐसे लोगों को एक साथ नहीं रखा जाता तो फिर उनको एक साथ क्यों रखा गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-मैंने आपस पहले ही कह दिया की एक साथ रहने का नियम नहीं है; लेकिन जब स्थानाभाव होता है तो रख दिये जाते हैं ।

श्री चन्दनमल:-क्या यह सही है कि ये लोग जेल टूटने से नहीं बल्कि जेल विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से भागे थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-इन सारी बातों की जांच हो रही है ।

श्री भेरूंसिंह:-क्या यह सही है कि जेल के तोड़े जाने से एक दिन पहले एक एम. एल. ए. उन कैदियों से मिलने के लिए गये थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-इसकी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न संख्या १००

श्री एच. के. व्यास:-Will the **Minister for Education** be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that the students of Sardarshahar were promised two additional teachers for this session ?

(b) Have this staff been sent to Sardarshahar ? If not, why not ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-

(a) नो

[redacted]

(b) सवाल पैदा ही नहीं होता । मैं आपकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि सरदार शहर में दो लेक्चरार की जगह जरूर खाली थी वह अब भरदी गई है ।

श्री चन्दनमल:–क्या वहां के विद्यार्थियों ने इसके लिये कोई हड़ताल की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–टीचर्स नहीं जाने के कारण हड़ताल की गई ।

श्री कपिलदेव:–जब टीचर्स और प्रोफेसरों की कमी होती है तो विद्यार्थी हड़ताल करते हैं और उनके हड़ताल करने पर उनकी मांग पूरी की जाती है । क्या सरकार उनकी मांग को हड़ताल किये बगैर पूरा नहीं करना चाहती थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में विद्यार्थियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिये थी । हमको टीचर्स मिलते नहीं । मैं आपकी जानकारी के लिये बताद्रू कि अभी भी ३० साइन्स टीचर्स की जगह खाली पड़ी है । जब टीचर्स ही नहीं मिलते तो फिर हम कहां से जगहों को भरें ।

श्री इन्द्रनाथ मोद:–क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरदारशहर में जो जगह खाली थी वह किस विषय के प्रोफेसरों की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–एक साइन्स टीचर की थी और दूसरी का मुझे पता नहीं ।

श्री एच. के. व्यास:–क्या इन दोनों लेक्चरारों की कमी सेशन के शुरुआत में ट्रान्सफर होने के कारण हुई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–ट्रान्सफर तो प्रोफेसरों की एक कालेज से दूसरी कालेज में हुआ ही करते हैं और यह होते ही रहते हैं ।

श्री चन्दनमल:–जब दूसरे प्रोफेसरों का प्रबन्ध नहीं था तो यहां से प्रोफेसरों का तबादला क्यों किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–ट्रान्सफर तो होते ही रहते हैं ।

श्री चन्दनमल:–जब दूसरा प्रबन्ध नहीं था तो सरदार शहर से उन प्रोफेसरों को ट्रान्सफर करके वहां के विद्यार्थियों के साथ स्टेप-मदरली (Step-motherly) ट्रीटमेंट क्यों किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–न तो स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट किया गया था, न हड़ताल करने के लिये यह किया गया था । ट्रान्सफरें तो हर साल होती ही रहती हैं ।

श्री एच. के. व्यास:–क्या सरदारशहर से पिलानी की आवश्यकता कुछ विशेष थी; जिससे उनका ट्रान्सफर किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–आपको मालूम होना चाहिये कि पिलानी एक प्राइवेट इन्स्टिटयूट है। वहां पर यदि वे लोग गये तो उनको हमारे यहां से ज्यादा अट्रेक्शन (attraction) था; इसलिये वे हमारे यहां से छोड़ कर चले गये ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–ये स्थान कितने समय तक रिक्त रहे ।

श्री नथूराम मिर्धा:–ये करीब ६ महीने तक रिक्त रहे ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्या सरकार यह अनुचित नहीं समझती कि विद्यार्थियों को कुछ विषयों में ६ महीने तक शिक्षा प्राप्त नहीं हो ।

श्री नाथूराम मिर्धा:–मैं इस बात को बिल्कुल अनुचित समझता हूं कि कोई भी स्थान रिक्त रहे । परन्तु मजबूरी है कि प्रोफेसर, टीचर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई स्कूलों में साइन्स टीचर्स की १० जगह खाली हैं । हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी प्रोफेसर नहीं मिल रहे हैं । जब मिल ही नहीं रहे हैं तो ऐसी हालत में, मैं मिट्टी के आदमी तो बना कर नहीं रख सकता ।

श्री चन्दनमल:–क्या यह सही है कि उन लोगों को तनख्वाहें कम मिलती हैं, इसलिये वे छोड़ कर चले जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–मैं आपकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां टीचर्स और लेक्चरारों को बहुतसी "ए" और "बी" स्टेटों से ज्यादा अच्छा वेतन मिलता है और इससे ज्यादा, हमारे यहां के फाइनेन्स को देखते हुए, नहीं दे सकते हैं ।

श्री चन्दनमल:–क्या यह सही है कि बजट में जो घाटा है उसकी पूर्ति के लिये कम वेतन दिये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–दूसरी "ए" और "बी" स्टेटों से यहां के शिक्षा विभाग में टीचर्स और प्रोफेसरों के ग्रेड बहुत अच्छे हैं ।

श्री एच. के. व्यास:–क्या पिछले साल अक्टूबर तक विद्यार्थियों को ट्रेनिंग उपलब्ध हुई थी ?

श्री अध्यक्ष:–ऑर्डर–ऑर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०१

श्री एच. के. व्यास:—Will the **Minister for Education** be pleased to answer.—

(a) Is it a fact that the School Building at Rajgarh is in a very bad condition, leaky and dangerous ?

(b) Is it a fact that the P. W. D. authorities have pronounced the building as unsafe ?

(c) What steps has the Government taken to get it repaired ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--(a) स्कूल के कुछ कमरे अरक्षित घोषित किये गए और अभी वे काम में नहीं आ रहे हैं। हां इस स्कूल की कुछ इमारत पी.डब्लू.डी. ने अनसेफ डिक्लेयर की है और बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेअर नहीं किया है।

सेठ मेहता जो इसके डोनर हैं उन्होंने इस सारी बिल्डिंग की मरम्मत करने के लिये लिखा पढ़ी की थी। अब पी.डब्लू.डी. ने इस बात को मंजूर कर लिया है और डोनर को इस बात की इत्तिला दे दी है और उसकी मरम्मत जल्दी शुरू करा दी जावेगी।

श्री चन्दनमल:--कब तक हो जाएगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--मंजूरी हो चुकी है; जल्दी ही हो जावेगी।

श्री चन्दनमल:--क्या इस साल तक मरम्मत हो जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--हो जावेगी।

प्रश्न संख्या १०२

श्री एच० के० व्यास:--Will the **Minister for Local Self Government** be pleased to answer:—

(a) Since when have the accounts of the Sardarsahar Municipality not been audited ?

(b) What steps has the Government taken to see that the accounts are got audited at once ?

श्री रामकरण जोशी:--(क) सरदार शहर म्युनिसिपेलिटी का ऑडिट मई सन् १९५० में हुआ था।

(ख) अब ऑडिट कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री एच० के० व्यास:—क्या कारण है कि सरकार ने उसको इतने दिन ऑडिट कराना उचित नहीं समझा ?

श्री रामकरण जोशी:—नये प्रान्त का नया इन्तजाम किया जा रहा है; इसलिये कुछ देर होना स्वाभाविक था।

श्री चन्दनमल:—क्या यह सही है कि सरदार शहर म्युनिसिपेलिटी में गड़बड़ियों की जांच कराई जाने के लिये सरकार के पास प्रार्थना पत्र आये थे ?

श्री रामकरण जोशी:—सूचना मिलने पर जांच होती रही है।

श्री एच० के० व्यास:—क्या ऑडिट नहीं कराने से गबन का खतरा बढ़ा या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी:—शिकायत की जांच होते रहने पर ऐसे खतरे की सम्भावना नहीं रहती।

प्रश्न संख्या १०३

श्री एच० के० व्यास:—Will the **Minister for Local Self Government** be pleased to answer:—

(a) Since when have the elections to the Town Committee of Hindumal Kot (Ganganagar District) been held ?

(b) Is the Government aware of the persistent demands of the people of that locality for early elections ?

(c) Why is the Government not ordering the elections ?

श्री रामकरण जोशी:—(a) It was a nominated Board constituted in January, 1946. Elective Franchise was not introduced there.

(b) Yes.

(c) After the formation of Rajasthan, steps were taken to hold election here. While preliminary work was in progress the work had to be suspended due to the proposals for the abolition of the Municipal Board. Government have now decided to continue this Board. Steps are being taken for holding elections at an early date.

श्री एच० के० व्यास:–क्या तीन साल तक इस प्रस्ताव पर सरकार लगातार विचार करती रही ?

श्री रामकरण जोशी:–प्रपोजलों पर विचार किया गया और ठीक तरह चुनाव कराने का निर्णय किया ।

श्री चन्दनमल:–तो क्या हम यह मानें कि इसका निर्णय करने में तीन-चार साल लगे ?

श्री रामकरण जोशी:–प्रपोजल की जांच पड़ताल में समय लगता है ।

श्री एच० के० व्यास:–क्या प्रपोजल की जांच पड़ताल में तीन साल लग सकते हैं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–प्रपोजल की जांच में ३ साल लगे तो चुनावों की आज्ञा पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

श्री रामकरण जोशी:–जल्दी ही हो जावेगा ।

श्री चन्दनमल:–"जल्दी" से हम क्या समझें ।

श्री रामकरण जोशी:–जो कुछ आप समझें हैं ।

प्रश्न संख्या १०४

श्री हरिकृष्ण व्यास:--Will the **Minister Incharge for Irrigation** be pleased to answer:—

(a) Is the Government aware that the tail ends of the canal, near about Raisinghnagar water supply has been practically stopped ?

(b) Is it a fact that the residents of the locality have made repeated representations for getting those tail ends of the canal cleared from slit and for adequate supply of water ?

(c) Will the Government consider acceding to this demand ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–

(a) (i) The tails of T. K. and Mandi Minors are nearest to Raisinghnagar and condition of water supply at both the tails is satisfactory and there is no complaint on these minors.

(ii) The condition of water supply at tails of Sangrana Minor, R. B. Lower and M. K. Distributaries, which are away from Raisinghnagar, is also satisfactory.

(b) Telegram complaining short supply at the tail of Sangrana Minor has been received from Secretary Kisan Sabha Raisinghnagar. The Necessary repairs and clearance of this minor were done during 9/51 and since then the condition of supply at the tail of Sangrana minor is good.

(c) Genuine complaints of cultivators are always attended to and removed

श्री एच० के० व्यास:–क्या यह सच है कि बोर्डर के लोगों ने, किसानों ने, सरकार को लगातार इस बात का रिप्रेजेन्टेशन किया है कि उनको पानी नहीं मिलता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–यह मैंने आपको पहले ही बतलाया है कि ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं है । जो शिकायत आई थी उसकी जांच की गई. ।

श्री एच० के० व्यास:–क्या यह बात सही नहीं है कि इसकी शिकायत वे लोग लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–सितम्बर १९५१ में एक तार आया था। उसके बाद कोई खास शिकायत नहीं है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–संगराना माइनर को पिछले साल ४३ दिन के लिए इसीलिये बन्द रखा गया ।

श्री भोगीलाल पंड्या:–शिकायत आने पर शिकायत दूर कर दी गई ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या यह सही है कि पिछले साल इतने दिनों तक उसके बन्द होने से सारी फसलें खराब हो गईं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–मुझे इसका पता नहीं; मालूम करके जवाब दे सकता हूं ।

श्री एच० के० व्यास:–"जब तक कोई विशेष शिकायत नहीं हो" इसका क्या मतलब है ? क्या कोई विशेष शिकायत सरकार के पास आती है तभी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–शिकायतें जो आई थीं वे सही नहीं थीं ।

प्रश्न संख्या १०५

श्री कपिलदेव अग्रवाल:-Will the **Health Minister** be pleased to State:—

(a) Has the Adulteration of Ghee become a general thing in Rajasthan ?

(b) What special precaution the Government are taking in checking the adulteration.

श्री रामकिशोर व्यास:-राजस्थान में घी की मिलावट के मामले में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है।

इसको रोकने का उपाय राजस्थान प्योर फूड एक्ट के जरिये करना है, जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:-कितनी वृद्धि हुई है, घी के मिलावट में ?

श्री रामकिशोर व्यास:-संख्या तो मैं डेफिनिटली नहीं बता सकता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:-तो आप "कुछ वृद्धि" कैसे बता सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास:-जितने वाकेआत हुए हैं, जो चालान हुए हैं, वे ज्यादा हैं।

एक सदस्य:-उन वाकेआतों की संख्या बतलायें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:-क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जयपुर और दूसरे शहरों में अच्छा घी नहीं मिल सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास:-यह बात सही नहीं है।

श्री तेजमल बापना:-गवर्नमेन्ट होस्टल में घी कहां से आता है ? क्या वह एडल्ट्रेटेड नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास:-मैं होस्टल का प्रोप्राइटर तो हूं नहीं, लेकिन हाउस कमेटी से भी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है।

श्री सम्पतराम:-राजस्थान प्रान्त के बनने के पश्चात् से कितने मुकद्मात सरकार के विचाराधीन आये और कितने मुकद्मात का फैसला हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास:—इसके लिए नोटिस की जरुरत है। वे अदालती मुकद्दमे हैं, सरकार के पास नहीं हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—क्या कोई कानून मौजूदा सूरत में ऐसा नहीं था कि यह एडल्ट्रेशन बन्द हो सके ?

श्री रामकिशोर व्यास:—अलग २ रियासतों में अलग २ कानून थे। म्युनिसिपल एक्टों में भी कहीं २ प्रोविजन है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—मेरा मतलब तो यह था कि कोई ऐसा लॉ अब तक नहीं था कि जिससे इस प्रकार एडल्ट्रेशन करने वालों को पनिश किया जा सके।

श्री रामकिशोर व्यास:—सारे राजस्थान के लिए प्योर फूड एक्ट बनाने की बात सरकार के विचाराधीन है। यह बनाया हुआ है; लेकिन सेन्टर का यह खयाल था कि एक ऐसा एक्ट बनाना आवश्यक है जो सारे हिन्दुस्तान पर लागू हो। इसलिये उसे रोका गया है।

प्रश्न संख्या १०७

श्री कु० तेजसिंह:—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(क) राजस्थान के वर्तमान डिस्ट्रिक्टों व तहसीलों में कमी करने का सरकार का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट व तहसीलें कम की जावेंगी ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—Has question No. 106 been deleted, Sir, or it will be taken later on.

श्री अध्यक्ष:—For the present it has been avoided.

श्री टीकाराम पालीवाल:—सदन को ज्ञात ही है कि राज्य की वर्तमान कठिन आर्थिक परिस्थिति में प्रशासन पर होने वाले खर्च को सरकार कम करना आवश्यक समझती है। तुलनात्मक दृष्टि से भी राजस्थान में कई "ए" और "बी" राज्यों से अधिक जिले हैं। इस कारण से कई जिलों और तहसीलों की संख्या में कमी करना आवश्यक हो गया है।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है। सरकार अभी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

श्री तेजसिंह:–क्या बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों और तहसीलों को छोटा करने की बात सरकार के विचाराधीन है?

श्री टीकाराम पालीवाल:–छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा करने की आवश्यकता रिएड्जस्टमेंट पर निर्भर करती है। सारे प्रश्नों की जांच करके यह किया जायगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–क्या सरकार को मालूम है कि इस ससपेन्स (Suspense) से तरह तरह के अटकल लगाये जाते हैं। इसलिए जो कुछ करना हो वह जल्दी ही कर लिया जाये।

श्री टीकाराम पालीवाल:–"अटकल" का मतलब समझ में नहीं आया।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–मतलब यह है कि जब तक यह तय नहीं होता है, और जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने यह जवाब दिया है कि यह सरकार के विचाराधीन है कि बहुत जल्दी ही डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों के बारे में तय किया जायगा; किन्तु मामले हर वक्त विचाराधीन ही रहते हैं। इससे तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं कि यह तहसील टूट रही है, वह डिस्ट्रिक्ट टूट रहा है। इस चीज का ध्यान रखा जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल:–यह कहना सही नहीं है कि मैं हर प्रश्न का उत्तर, देता हूं तो "विचाराधीन" कह, देता हूं। ऐसा अगर कभी जवाब दिया है तो तभी कि जब कोई प्रश्न विचाराधीन होता है, और उनके लिए तो कहना ही पड़ता है। कुछ जिले तोड़े जायेंगे, कुछ जिले छोटे किये जायेंगे, ऐसी अटकल लगाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, और न आपको रोका गया है।

श्री कानसिंह:–क्या न्यू स्कीम में तमाम डिविजनों को बराबर कर दिया जायेगा?

श्री टीकाराम पालीवाल:–जी नहीं। यह कभी सम्भव नहीं हुआ है और न होगा।

श्री रोशनलाल:–इसमें कितना समय लगेगा?

श्री टीकाराम पालीवाल:–समय ठीक ठीक नहीं बतला सकता।

प्रश्न संख्या १०८

श्री तेजसिंह:–क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:–

(क) १ मार्च, १९५२, से अब तक प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?

(ख) उनमें कितने व्यक्ति एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश व हाईकोर्ट की आज्ञा द्वारा मुक्त किये गये ?

(ग) अब कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल: —

(क) ३४ व्यक्ति ।

(ख) २४ एवं ३ क्रमशः ।

(ग) ७.

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—इन ३४ व्यक्तियों में से कितने नाम ऐसे थे जो डाकुओं से एसोसियेटेड होने के कारण प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में रखे गये ?

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट प्लीज् ।

प्रश्न संख्या १०६

श्री तेजसिंह:—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन २ सी जगह कोम्युनिटी प्रोजेक्ट्स्, प्रारम्भ किये गये हैं ?

(ख) क्या यह स्थान निश्चित करते समय कुछ विशेष् बातों पर घ्यान दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो किन २ बातों पर ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—(क) राजस्थान को २ कम्युनिटी प्रोजेक्टस् और एक डेवेलपमेन्ट ब्लॉक मिला है। इनको हमने ७ सब–ब्लॉकों में विभाजित किया है ।

(१) जयपुर डिविजन में जिला सवाई माधोपुर है जिसके अन्तर्गत तीन तहसीलें, हिन्डौन, महुआ और टोडा भीम के गांव आते हैं ।

इसके अतिरिक्त एक ब्लॉक जयपुर डिविजन में, अलवर जिले में, जहां कि हरिजन शरणार्थियों की बस्ती अधिक है वहां विशेष रूप से रखा गया है ।

(२) जोधपुर डिविजन में जिला पाली, तहसील बाली में, जिसमें जवाई बांध में आने वाला क्षेत्र भी आ जाता है ।

(३) बीकानेर डिविजन में गंगानगर जिला, तहसील रायसिंहनगर और अनूपगढ़ के गांव हैं।

(४) उदयपुर डिविजन में जिला उदयपुर, तहसील राजसमन्द और तहसील रेलमगरा है।

इसके अलावा उदयपुर डिविजन में आदिवासियों की बस्ती में डूंगरपुर जिले में एक ब्लौंक खास तौर से रखा गया है।

कोटा डिविजन में जिला कोटा, तहसील बारां, मांगरोल और अटरू हैं।

श्री रोशनलाल:—यह डूंगरपुर जिले में एक ब्लौंक रखा गया है इसका कोई खास कारण है?

श्री टीकाराम पालीवाल:—आदिवासी क्षेत्र की पिछड़ी हुई जनता के लिए यह विशेष रूप से रखा गया है।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—क्या आदिवासियों को गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया से दूसरी सहायता नहीं मिलती है या कोई दूसरा सुधार उनके लिए नहीं किया जा रहा है?

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह हो रहा है।

श्री सोहनलाल भटनागर:—सेन्टर सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया रखा गया है?

श्री टीकाराम पालीवाल:—जिस जगह इनके सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होने की संभावना थी वहां यह रखे गये हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर:—क्या जो सेन्टर रखे गये हैं वह सबसे अधिक उपयोगी हैं?

श्री धर्मपाल:—हरिजन ब्लौंक अलवर जिले में रखा गया है और गंगानगर जिले में नहीं; लेकिन वहां हरिजन शरणार्थियों की संख्या अलवर से बहुत ज्यादा है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अलवर में कन्सेन्ट्रेटेड रूप में बहुत से हरिजन शरणार्थी थे; इसलिये वहां रखा गया है।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—जहां जहां कौम्युनिटी ब्लौंक रखे गये हैं क्या वह मंत्री महोदय के चुनाव क्षेत्र हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल:—नहीं।

Page No.26

श्री तेजसिंहः—क्या जयपुर डिविजन में सवाई माधोपुर जिले को ही ज्यादा उपयुक्त समझा गया ।

श्री टीकाराम पालीवालः—जी नहीं; अलवर को भी ।

श्री मोहम्मद इब्राहिमः—अलवर को ही क्यों समझा गया, भरतपुर को क्यों नहीं, जबकि शरणार्थी और हरिजन वहां ज्यादा हैं ?

श्री टीकाराम पालीवालः—वैसे तो सभी जगह शरणार्थी और हरिजन सारे राजस्थान में फैले हुए हैं । ८

श्री मोहम्मद इब्राहिमः—भरतपुर में खास तौर से रखना चाहिए था ।

श्री माननीय अध्यक्षः—नेक्स्ट ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—इस प्रश्न के तीन हिस्से हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने (क) का जवाब तो दे दिया है । (ख) और (ग) का जवाब नहीं आया है ।

श्री टीकाराम पालीवालः—(ख) तथा (ग)-कुछ बातों का ध्यान रखा गया है, वहां की आबादी, वहां के उपलब्ध साधन और खास तौर से वहां डेवलेपमेन्ट की आवश्यकता ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—क्या यह सही है कि आबादी और डेवलपमेन्ट की आवश्यकता के मुकाबले में वहां के जो व्यक्ति एम० एल० ए० बन कर आये हैं उन पर ज्यादा ध्यान रखा गया है ?

श्री टीकाराम पालीवालः—बिलकुल गलत ।

एक सदस्यः—अगर सरकार ने डेवलपमेन्ट की आवश्यकता का क्राइटेरिया रखा है तो कोटा में बारां, बीकानेर में गंगानगर, जोधपुर में पाली राजस्थान में सबसे अधिक डेवलप्ड इलाके हैं ?

श्री टीकाराम पालीवालः—एक कन्सिड्रेशन यह भी था कि जहां रिसोर्सेज जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें वहां यह रखा जाय ।

श्री मानसिंहः—अलवर में पहले कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का सेन्टर रखने का कोई इरादा नहीं था फिर ऐसा क्यों किया गया ?

श्री टीकाराम पालीवालः—हरिजन शरणार्थियों की विशेष बस्ती होने के कारण यहां रखा गया है ।

श्री मानसिंह:—क्या भरतपुर वगैरह में शरणार्थियों की बस्ती नहीं है ?

श्री कपिलदेव:—यह जगह नियत करने के लिए क्या एक्सपर्ट कमेटी की स्थापना की गई थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—कन्सर्निंग अफसरों से इस बारे में सलाह ली गई थी।

श्री कपिलदेव:—क्या यह कैबिनेट की मीटिंग में तय हुआ था ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—कैबिनेट की बात यहां नहीं बतायी जा सकती।

श्री मानसिंह:—कौम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिये जो अफसर नियुक्त किये गये हैं क्या उनके लिए कोई खास योग्यता रखी गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—जो इस काम के लिए विशेष रूप से उपयुक्त समझे गये उनको रखा गया और उनके लिये विशेष ट्रेनिंग भी दी गई।

प्रश्न संख्या ११०

श्री तेजसिंह:—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कार्य कर रहे हैं ?

(ख) उनमें चुने हुए कितने व नामजद कितने हैं ?

(ग) नामजद बोर्डों का चुनाव कब तक होगा ?

श्री रामकरण जोशी:—राजस्थान में १० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कार्य कर रहे हैं जिनमें से ३ चुने हुए व ७ नामजद हैं। जब राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल सदन में पास हो जायगा तब चुनाव सम्पन्न करा लिये जायेंगे।

श्री कपिलदेव:—यह बिल कब तक पास कर दिया जायगा ?

श्री रामकरण जोशी:—जब आप लोग चाहेंगे, तभी पास हो सकता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—गवर्नमेन्ट यह बिल सदन के सामने कब पेश करना चाहती है ?

श्री रामकरण जोशी:—इसी अधिवेशन में।

श्री मानसिंह:—आज जो नामजद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनमें काफी गफलतें हो रही हैं। उनको भंग कर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी:—यदि गफलतें की जायंगी तो उनको डिजोल्व किया जायगा; लेकिन गफलतें हो नहीं रही हैं।

श्री मानसिंह:—जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आजतक कुछ भी काम नहीं हो रहा है ?

श्री रामकरण जोशी:—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन डाइरेक्टर लोकल बोडीज हैं। अतः......

श्री रामदयाल उपाध्याय:—जिन डिविजनों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं हैं उनमें कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री रामकरण जोशी:—बिल पास हो जाने पर सारे ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हो जायेंगे।

प्रश्न संख्या १११

श्री तेजसिंह:—क्या माननीय पृथक् राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) मद्य निषेध के सम्बन्ध में सरकार कोई ठोस कदम उठाने वाली है ?

(ख) यदि हां, तो क्या और कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ:—(क) नहीं।
(ख) उपस्थित नहीं होता।
(ग) राज्य की आर्थिक अवस्था ही इसका मुख्य कारण है।

श्री तेजसिंह:—क्या भविष्य में भी सरकार इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री भोलानाथ:—राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाने पर इस प्रश्न को लिया जायगा।

श्री कपिलदेव:—मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इससे कितनी आमदनी होती है ?

श्री भोलानाथ:—लगभग तीन करोड़ रुपया।

श्री जयनारायण व्यास:—क्या इस विषय में अपोजिशन से भी सलाह ली जायगी ?

श्री भोलानाथ:–ऐसा कानून पेश होगा, तब सलाह अवश्य ली जायगी ।

प्रश्न संख्या ११२

श्री कु० तेजसिंह:–क्या माननीय अर्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भूतपूर्व जयपुर राज्य के झाड़शाही सिक्के के बट्टे से राजस्थान सरकार को वार्षिक कितनी आय है ?

(ख) क्या अब भी यह बट्टा चालू रखा जावेगा ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–अब राजस्थान में युनिफाइड कस्टम टैरिफ लागू होने के बाद कस्टम दर जयपुर में इन्डियन करेन्सी में एक्सप्रेस की जाती है कुछ चीजों में, जैसे लेण्डरेवेन्यु में यह अबतक झाडशाही में करेन्सी एक्सप्रेस की जाती है लेकिन इनकी वसूली एक्च्युअल इन्डियन करेन्सी में होती है । इन सिक्कों का सर्क्युलेशन अब बिलकुल बन्द हो चुका है। अब जल्दी ही इनको रेग्युलेराइज किया जायगा ।

श्री तेजसिंह:–झाडशाही सिक्के से आमदनी कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–क्योंकि इसके फिगर्स अलग अलग सीगों में है, इसलिये इकट्ठे नहीं किये जा सके; इनको मैं इकट्ठा नहीं कर पाया ।

श्री कपिलदेव:–निकट भविष्य में ही इसको करना सरकार उचित नहीं समझती ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–इसके लिए कदम उठाया जा रहा है और जल्दी ही इसको रेग्युलराइज कर दिया जायगा ।

श्री कपिलदेव:–काश्तकारों से लगान झाड़शाही रुपयों में क्यों लिया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–मैंने पहले ही यह निवेदन किया था कि लेण्ड रेवेन्यु झाड़शाही में ही ली जाती है । इसको दूर करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री कपिलदेव:– आपने पब्लिक मीटिंग में भी वायदा किया था कि इसको जल्दी से जल्दी बन्द कर दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–पब्लिक मीटिंग में ही नहीं, चेम्बर ऑफ कामर्स में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था । इसके स्टॉक को लेने की कोशिश चल रही है ।

श्री कपिलदेव:-नये पर्चे जो बांटे गये हैं उनमें झाड़शाही क्यों रखा गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा:-मुझे इस बात का पता नहीं कि यह पर्चे कब तैयार किये गये। वे बहुत पहले के ही तैयार किये हुए थे वैसे ही बांट दिये गये। उनको ठीक कर दिया जायगा।

श्री कपिलदेव:-कम से कम राहदारी के महकमे में आप हुक्म दे सकते हैं और यह कार्य करवा सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा:-राहदारी के मामले में कस्टम्स टेरिफ यूनिफाइड है, इन्डियन करेन्सी में।

श्री भैरूंसिंह:-क्या आप इस सिक्के को बन्द करने की शीघ्र व्यवस्था नहीं कर सकते?

श्री नाथूराम मिर्धा:-मैंने पहले ही कह दिया था कि ये महकमों में बिखरे हुए हैं; उनको इकट्ठा किये जाने में समय लग जायगा।

श्री कपिलदेव:-कलदार की जगह झाड़शाही लिया जाता है। आप सिर्फ हुक्म दे सकते हैं कि झाड़शाही की जगह इन्डियन करेन्सी ली जाय।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-मौजूदा नीति के पीछे अनुचित लाभ उठाने की सरकार की भावना नहीं है?

श्री नाथूराम मिर्धा:-अनुचित लाभ उठाने की कोई भावना नहीं। झाड़शाही रुपये के १७ आने दिया करते हैं; अब १७ आना ही रिसीव करेंगे।

श्री कपिलदेव:-तो फिर क्या भावना काम कर रही है जिससे देरी हो रही है? इस देरी का क्या कारण है?

श्री टीकाराम पालीवाल:-विशेष लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इसे छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ११३

श्री छीतरलाल:-क्या माननीय इरिगेशन मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि:-

बूंदी जिले के सम्बन्धित तालाब व कुओं की मरम्मत पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जाता?

श्री भोगीलाल पंड्या:–बूंदी जिले के तालाब और कुओं पर बराबर ध्यान दिया जा रहा हैं और दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित आंकड़ों से मालूम हो सकेगा:–

	हिफाजत तथा मरम्मत	बढोतरी तथा विकास	निर्माण	टोटल
सन् १९५०-५१ में वास्तविक व्यय	९,३९२	५५,७६१	९७,५४७	१,६२,७००
सन् १९५१-५२ में वास्तविक व्यय	५०,८०७	१,२५,४२४	६४,७९५	२,४१,०२६
सन् १९५२–५३ में सम्भावित व्यय	७०,०००	२५,०००	५०,०००	१,४५,०००

श्री छीतरलाल:–यह रकम कब तक खर्च की जायगी? बजट में इसको रखा गया कि नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या:–एक्च्युअल एक्सपेन्डिचर के मायने ही यह होते हैं कि रकम खर्च कर दी गई है।

प्रश्न संख्या ११४

श्री छीतरलाल:–क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:–

यह कि बूंदी नगरपालिका ने शहर में सड़कों पर डम्बर ऐसा लगाया है जो कि नहीं के बराबर है। इस प्रकार जनता कि निधि व्यर्थ में क्यों बहाई जाती है?

श्री भोगीलाल पंड्या:—सरकार का ध्यान इस ओर किसी ने आकर्षित नहीं किया।

नगरपालिका को सड़क की मरम्मत आदि कराने का पूर्ण अधिकार है।

श्री छीतरलाल:-क्या यह रकम खर्च हो गई?

श्री अध्यक्ष:—Question hour is over.

विशेषाधिकार के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पास एक प्रिविलेज मोशन का प्रार्थना पत्र आया है। वह यह है कि

"That the Hon'ble Minister for Public Works has by refusal to place the answer to question No. 22 on the table of the House committed a breach of Privilege of this House".

ऐसे प्रिविलेज मोशन मूव करने से पहले, इसलिए कि सदन का कुछ समय बच जाय, मैं हाउस के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूं कि पहले वे मुझ से इस बारे में डिस्कस कर लिया करें और फिर ऐसे प्रिविलेज मोशन रखा करें। मैं जब यहा सदन में आया था तो उसके बाद यह प्रार्थना पत्र मेरे सामने पेश हुआ। मैं इस दरख्वास्त को विधि के अनुसार नहीं समझता और इसलिए इसे प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान नहीं करता। साथ ही मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से उस प्रश्न का उत्तर न दिये जाने का, उनके पास क्या एक्स्प्लेनेशन है, उत्तर सुनना चाहूंगा।

श्री भोलानाथ:—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले दिन रखा गया था और मैं उस दिन जवाब देने की तैयारी में था; परन्तु उस दिन वह प्रश्न समय न रहने के कारण दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और मैं दूसरे दिन भी उसके लिए तैयार था परन्तु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो गई थी कि उनको टेबल पर रख देना चाहिए। उस आज्ञा के अनुसार वह टेबल पर रख दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि यहां की किस व्यवस्था के कारण माननीय सदस्य को असुविधा प्राप्त हुई। प्रिविलेज का प्रश्न आने पर मैंने मालूम किया तो मेरे उत्तर की कापी विधान सभा के दफ्तर में अवश्य मिली। फिर भी मैं नहीं समझता हूं कि यह क्यों स्थिति पैदा हुई ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं पहले भी इस सदन के सामने निवेदन कर चुका हूं कि इस किस्म की अड़चनों को दूर करने के लिए हमें ऐसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिये जिससे किसी भी सदस्य को असुविधा न हो और इस हाउस का समय भी व्यर्थ में खर्च न हो। इसी लक्ष्य से मैंने यह निवेदन किया था कि अगर हम यह तरीका अख्तियार कर सकें कि जो भी सामग्री इस हाउस की टेबल पर किसी भी सरकारी मंत्री द्वारा रखी जाय उसकी एक सूची सर्क्युलर के द्वारा सभी सदस्यों के पास भेज दी जाय; ताकि हमें इस सम्बन्ध में व्यर्थ की खोज भी न करना पड़े और ऐसी झंझट, जो आज पैदा हुई है इसका निर्णय भी करना आवश्यक न हो।

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मैं अब समाप्त कर ही रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि उस प्रश्न का जवाब भेज दिया गया था; हाउस की टेबल पर रखे जाने

के लिए। माननीय सदस्य जो हाउस के इस ओर बैठे हैं उनकी यह शिकायत है कि उन्हें प्रश्नों का जवाब अब तक प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी अड़चन न आवे।

एक सदस्यः--मुझे अब तक मेरे प्रश्न नं० ९, १० और ११ का जवाब नही मिला है।

श्री जयनारायण व्यासः—दूसरे प्रश्न तो विचाराधीन हैं। जिस प्रश्न से सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में हमें पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस समझ लेना चाहिए। दर असल जिस प्रश्न की साफ तौर से इनकारी की जाती है कि क्वेश्चन का जवाब देना ही नहीं है उस पर प्रिविलेज का प्रार्थना पत्र लाया जाता है। ओमिशन पर सवाल खड़ा नहीं होता। जहां तक मंत्री महोदय के सवाल का सम्बन्ध है; उनका रिफ्यूजल (refusal) नहीं है, ओमिशन जरूर हो सकता है। जैसा माननीय इन्द्रनाथजी ने कहा था कि जवाब की एक सूची सभी सदस्यों के पास भेज दी जानी चाहिए; इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे पार्लियामेन्ट में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और वहां का अनुभव है कि प्रश्नों के उत्तर सभी सदस्यों के पास नहीं भेजे जाते, किन्तु जो प्रश्नकर्त्ता हैं यदि वे प्रार्थना करें कि जो जवाब टेबल पर रखा जाय, उसकी एक प्रति उनके पास भी भेज दी जाय तो वह खास तौर से उनके पास भेजी जा सकती है। यदि टेबल पर नहीं रखा जाय तो क्वेश्चन ओफ प्रिविलेज खड़ा होता है, अन्यथा हाउस का फालतू समय नष्ट होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यासः—सारे के सारे प्रश्न मुझ से ताल्लुक रखते हैं। तारीख ७ को जो प्रश्न समय की कमी की वजह से रह गये थे उनका उत्तर हाउस की टेबल पर रखा जायगा; यह कहा गया था..

श्री अध्यक्ष:—I think you will not need any clarification.

माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि हाउस की टेबल पर उत्तर रख दिये थे; इस के बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। उक्त प्रश्नों के उत्तर ७ अक्टूबर को रखे जाने चाहिये थे और पहले रोज जो प्रश्न बाकी रहे थे उनमें से केवल माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर के प्रश्न के बारे में नेक्सट डे को उत्तर देने के लिये कहा गया था; बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर उसी समय टेबल पर रखे जाने चाहिये थे। हमारे दफ्तर में ये उत्तर २० अक्टूबर को आये। लिस्ट सर्क्युलेशन का जो प्रश्न है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे नियम स्पष्ट हैं और यह प्रिज्यूम किया जायगा और हम देखेंगे कि जो प्रश्न कॉल (call) नहीं किये जाते हैं उनके उत्तर हाउस की टेबल पर रखे जायेंगे और जो देखना चाहेंगे उनके पास भेज दिये जायेंगे। अब रही सर्क्युलेशन की बात। यह संभव नहीं, क्योंकि एजेन्डा आपके पास समय पर भेजने के लिये काफी काम रहता है और सारे सदस्यों के पास जो जो पेपर्स हाउस की मेज पर रखे जाते हैं उनको भेजना पड़ेगा, तो काम बहुत बढ़ जायगा और न यह बात रूल्स में अपेक्षित है।

(विराम)

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक, १९५२ (अग्रेतर वाद-विवाद)

राजस्थान राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होनेवाली कार्यवाहियों को रोकने के विशेष तरीकों की व्यवस्था करनेवाले विधेयक पर अब विचार किया जाय। इस प्रश्न के ऊपर परसों कुछ वादविवाद हुआ था और फिर आज के लिये एडजोर्न कर दिया गया था। प्रिन्सिपल ओफ बिल के ऊपर बहस चल रही थी। इस बारे में और जो सज्जन कहना चाहें वे अपना विचार प्रकट करें।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के प्रिन्सिपल का विरोध करने के लिये सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मैंने इस विधेयक को, जहां तक मुझसे बन सका, प्राप्त समय में अध्ययन किया और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह विधेयक अनावश्यक है। पेश्तर इसके कि इस विधेयक को इस सदन द्वारा पास करने की मांग हमारे सामने की जाय मैं सरकारी पक्ष से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून को बनाने की हमारे राज्य में कौनसी आवश्यकता है। मेरा तो अपना विचार यह है कि हमारे प्रान्त की सुरक्षा के संबंध में जो भी कानून बने हुए हैं, वे पर्याप्त हैं और इस प्रान्त में इस समय कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि जिसके कारण एक ऐसा कानून पास किया जाय। साधारण दंड नियमों के अतिरिक्त, आप की जानकारी के लिये मुझे यह कहना है कि, अन्य किसी कानून की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रान्त में प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट भी लागू है और उस एक्ट के संबंध में इस सदन में बहुत कुछ चर्चा पहले हो चुकी है। मैं उसे दोहरा कर इस हाउस का समय नष्ट नहीं करना चाहता; लेकिन मैं मानता हूं कि यह एक्ट इतना विशाल है और पर्याप्त है कि हमारे प्रान्त की सुरक्षा के लिये और शान्ति बनाये रखने के लिये जितनी भी आवश्यक सामग्री कानून के रूप में हमारे प्रान्त में उपलब्ध होनी चाहिये वह पहले ही से उपस्थित है और कोई ऐसा कारण हमें नहीं बतलाया गया है, न स्वयं हमारे सामने है कि जिसके लिये इस तरह के एक व्यापक और एक प्रकार से हमारी सारी स्वतंत्रता पर आघात करने वाले एक नये कानून को हमारे प्रान्त में लागू किया जाय। जहां तक हमें मालूम है न्याय और व्यवस्था की परिस्थिति हमारे प्रान्त में पहले से बहुत सुधरी हुई है। क्यों सुधरी और किस कदर सुधरी इस बात में मतभेद हो सकता है; लेकिन इसमें कोई शक नहीं क्योंकि राज्य पक्ष का भी यह कहना है और हम भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं, कि न्याय और व्यवस्था की स्थिति में अवश्य सुधार हुआ है और जब हम ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं तो ऐसा कानून क्यों हमारे प्रान्त में लागू किया जाय, जिसका परिणाम अनिष्टकारी ही नहीं बल्कि भयानक सिद्ध हो सकता है। आप महानुभावों से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, मेरा निवेदन है कि इस कानून की गहराई में उतरिये, कुछ इसे समझने की कृपा करिये। यह कोई दलबन्दी का प्रश्न नहीं है। यह इस प्रान्त के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का प्रश्न है। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि यदि यह कानून हमारे यहां लागू किया गया तो बहुत संभव है कि यह सरकार जो इस समय हमारे प्रान्त पर राज्य कर रही है चाहे वह इसका उपयोग न करे, मुझे इसमें भी शक है, लेकिन यदि इस बात को भी मान लें तो भी, प्रजातन्त्र में सरकारें अटल नहीं रहा करतीं, आती-जाती रहती हैं, और कोई दूसरी सरकार

इसका दुरुपयोग करना चाहेगी तो इसके जरिये से अपने खिलाफ होनेवाले सारे आन्दोलनों को, सारी राजनैतिक चर्चाओं को, सारी मीटिंगों और जुलूसों को और सभी प्रदर्शनों को, एक इस कानून के जरिये, बहुत अर्से तक बंद कर सकती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके इसके महत्व को या इसके विपरीत दुरुपयोग को आप भली प्रकार से सोचिये और फिर यह भी विचार करिये कि यदि इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा।

मेरे पास समय नहीं और न यह अवसर भी है कि इस एक्ट की जो अलग २ धाराएं हैं उन पर मैं इससमय रोशनी डालूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक की विशेषकर जो धाराएं ४, ५, ६, ७, ८, ९ और १० हैं, उन पर महरबानी करके भली प्रकार विचार करें। यदि यह एक्ट पास होता है तो कितनी पाबन्दियें नागरिकों पर लगाई जा सकती है–इसके द्वारा और मैं तो समझता हूं उनका कोई अंत भी नहीं है। सारी राजनैतिक कार्यवाही, प्रक्रिया किसी भी सरकार के खिलाफ की जाय, चाहे वह सरकार कितनी ही निकम्मी हो और चाहे हमें बुनियादी हक हो, उस सरकार को तब्दील करने का और फिर भी वह सरकार इस एक्ट के द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करे तो मैं निसन्देह यह कहने का दावा करता हूं कि वह अपने बुरे इरादों में बहुत हद तक कामयाबी प्राप्त कर सकती है–अपने आपको सरकार बनाये रखने में।

इस एक्ट के मातहत आप झंडियां भी नहीं रख सकते; यदि State Government यह एलान करदे कि वे झंडियां किसी ऐसे आन्दोलन से ताल्लुक रखती हैं, जो सरकार की निगाह में प्रान्त की सुरक्षा के विपरीत असर रखने वाली हैं। आप कोई Uniform नहीं पहन सकते और ऐसा किसी किस्म का निशान अपने पास नहीं रख सकते। आपकी सारी मीटिंग्ज और प्रोसेशन्स एक पर्याप्त समय के लिये बंद किये जा सकते हैं, यहीं तक ही नहीं किन्तु नागरिकों के "Movements" भी इस एक्ट के मातेहत बड़ी सख्ती के साथ बंद किये जा सकेंगे।

कहा यह गया है कि यह पाबन्दी केवल यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाये तो एक महीने तक लगा सकता है और यदि प्रान्तीय सरकार लगाये तो एक साल तक लगा सकती है। पर यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि यह पाबन्दी इस तरह मेनिपुलेट(Manipulate) की जा सकती है कि कोई भी सरकार जो उस समय सत्तारूढ़ हो उसके खिलाफ किसी किस्म की हल-चल प्रान्त में पैदा ही नहीं की जा सकती और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा हुआ तो इस प्रान्त का कोई हित होने वाला नहीं है; अनिष्ट ही होगा। और फिर यदि आप धारा ७ की उपधारा ६ की तरफ देखेंगे–जब कोई ऐसा हुक्म आपके Movement के बाबत District Magistrate द्वारा जारी किया जाय तो आपको District Magistrate यह इत्तला देगा, जहां तक वह देना उचित समझता है कि किन कारणों से आपके Movement पर पाबन्दी लगाई है। यह इसलिए किया जायगा कि आपको अधिकार है कि आप उस आज्ञा के विरुद्ध प्रान्तीय सरकार के सामने आवेदन-पत्र रख सकें; पर यह सरकार की खुशी की बात है कि कौनसी बात वह आपको कहेगी, किन बातों की सूचना आपको करेगी और किनकी सूचना करना आवश्यक या वांछनीय नहीं समझेगी।

तो इस तरह किसी भी आदमी को इधर उधर जाने से रोका जा सकता है। जब वह चल फिर नहीं सकता, सीमित दायरे के बाहर, तो उसके काम में बहुत रुकावट पैदा होगी और इसका परिणाम यह होगा कि उसकी स्वतंत्रता पर बहुत आघात पहुंचेगा और आपको जो अधिकार इस विधेयक के मातहत प्राप्त हैं, मैं कहना चाहता हूं, इस हाउस के सामने कि वे अधिकार एक बहुत ही काल्पनिक अधिकार हैं। जब सारी स्थिति आपके सामने पहुंचेगी ही नहीं तो आप सरकार के सामने क्या Representation कर सकते हैं और जब आवेदन पत्र पहुंचायेंगे भी तो उसका क्या असर पड़ेगा ?

फिर आवेदनपत्र पर गौर करने के लिए अध्यक्ष महोदय, एक एडवाइजरी कौन्सिल की योजना इस विधेयक के मातहत की गई है पर वह कौन्सिल भी मेरी समझ में कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसका काम सिर्फ सलाह देने का रखा गया है; उस राय को मानना न मानना केवल Executive की मर्जी की बात होगी। कहा जाता है कि इस कौन्सिल में High Court के जज नियुक्त होंगे या ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होगी जिनका औहदा High Court के जजों के समान समझा जाय। परन्तु मैं समझता हूं इस समिति से क्या फायदा होगा, क्या नागरिक अधिकारों की सुरक्षा होगी और एक अत्यधिक उत्साही Executive की मनमानी में क्या रुकावट होगी, जब प्रशासन चाहे तो कौन्सिल के निर्णय को माने, न चाहे तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस किस्म का कानून हमारे प्रान्त में बन गया तो उसका यह परिणाम होगा कि हमारे नागरिकता के अधिकारों पर छुरा भोंका जायगा, प्रजाराज के हितों की अवहेलना होगी और हमारे अधिकारों की बात स्वप्नवत् होकर रह जायगी। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का आयोजन करने का राजस्थान में कौनसा कारण पैदा हुआ है। और फिर इस विधेयक के मातहत जितनी भी कार्यवाहियां होने वाली हैं वे सारी District Magistrate के द्वारा की जायंगी। मैं फिर अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के सामने यदि निवेदन करूं कि District Magistrate कितने निष्पक्ष होते हैं और कितने न्यायप्रिय होते हैं जो आपसे पोशीदा नहीं है। कठोर नियमों के होते हुए भी उनका यह साहस है कि अपने मातहत काम करने वाले Magistrates को यह आज्ञा देने का साहस रखते हैं कि चाहे कानून कुछ भी कहे, तुम्हें ऐसा करना होगा और ऐसा नहीं करना चाहिये। शासन विभाग और न्याय विभाग के प्रथककरण के सवाल हल नहीं हुए हों जिस प्रान्त में, जिस देश में, वहां के मजिस्ट्रेट कभी भी कानून को न्यायप्रियता के साथ साथ बरत सकें, यह आशा करना एक दुराशा मात्र होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जिक्युटिव के मातहत रहते हैं। उनकी मौकूफी, उनकी तरक्की, उनके तबादले, उनकी बहबूदी आदि सारी एग्जिक्युटिव (Executive) के मर्जी की चीज है, और जब स्थिति ऐसी है तो वे एक तरफ तो Executive

के हुक्म की तामील करेंगे और दूसरी तरफ पुलिस से, उनके ऐसे सम्बन्ध रहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिये यह नामुमकिन हो जाता है कि वह ऐसा दृष्टिकोण रखें जिससे न्याय की उचित आशा की जा सके।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक कानून के रूप में लागू हुआ तो उसका परिणाम यह होगा कि सारे राजस्थान में पुलिस राज हो जाएगा और यदि हमारे प्रान्त में न्याय के राज्य के बजाय पुलिस राज्य की स्थापना की जाती है, हमारे सामने बैठे हुए राजपक्षीय बन्धुओं द्वारा; तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं उसका कड़े से कड़ा विरोध करूं। मैं जानता हूं कि हमारी फरियाद पहुंचने वाली नहीं और उसका कुछ भी असर नहीं, क्योंकि यहां पर जो काम किया जा रहा है, मुझे दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है, केवल अधिक बहुमत के बल पर किया जा रहा है। यहां पर मामले की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता, औचित्य तथा अनौचित्य पर फैसला निर्भर नहीं है और मैं यह भी समझता हूं कि यदि आप चाहे तो इसको पास भी कर सकते हैं और कर लें; लेकिन मैं भगवान के नाम पर आप से प्रार्थना करूंगा कि जो अधिकार आपके पास हैं वे पर्याप्त हैं, उन्हीं को काम में लाते और प्रस्तावित कानून को पास कर और उसे "स्टेच्यूट बुक", पर लाकर अपने माथे पर कलंक का टीका न लगावें। याद रखिए यदि हमने यह कानून पास किया तो हमारे बाद में आने वाली पीढ़ियें सदा इसे एक कलंक के रूप में याद रखेंगी। अतः मैं आप से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ये बातें मैं आप से आवेश में आकर नहीं कह रहा हूं और न आपका विरोध करने के लिये कह रहा हूं; लेकिन सच्ची बात यह है कि यह कानून मुझे बड़ा भयावह मालूम होता है। यदि इसका सही और सच्चे मायने में सदुपयोग नहीं हुआ तो किसी भी नागरिक का बुनियादी अधिकार हर्गिज सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें कोई भी ऐसा कानून पास नहीं करना चाहिये जब हमारे प्रान्त में आपके स्वयं के निवेदन के अनुसार शान्ति और व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। कोई इमर्जेन्सी (emergency) नहीं तब फिर यह "स्टेच्यूट बुक" पर क्यों लाया जा रहा है? मैं आपके साथ रहूंगा यदि आपके प्रान्त में इस प्रकार के कानून को लाने की आवश्यकता हो और उस समय आप इस कानून को लाने का प्रयास करें और फिर लावें भी तो केवल निश्चित समय के लिये। मगर आज जो यह सब कुछ हो रहा है, वह सदा के लिये हो रहा है और इसे स्थाईरूप से हमारे कानून की किताब पर रखा जा रहा है। जितनी सूझ मेरे में है उसके बल पर मैं कहना चाहता हूं कि आप फिर सोचें और जो कानून के साधन आपके पास हैं उसके बल पर आप सुरक्षा और कानून की व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप अवश्य कर सकते हैं, यदि शासन के साधन शिथिल नहीं हों। लेकिन इस प्रकार का कानून यदि हमारे प्रान्त में लागू किया जाता है तो मैं समझता हूं कि जिस रोज से यह कानून लागू होगा उस रोज से प्रजातन्त्र का नाम नहीं रहेगा।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान सामूहिक जुर्मानों की योजना की और दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि विधेयक की धारा (९) में यह लिखा है कि" The State Government

may by notification in the Rajasthan Gazette declare the whole or any part of the State to be dangerously disturbed area." इसका मतलब यह है कि राजस्थान के किसी भी हिस्से को या सारे प्रान्त को सरकार एक "डेंजरसली डिस्टर्बड एरिया" घोषित कर सकती है। इस प्रकार की घोषणा हो जाने के बाद, मैं समझता हूं कि आपकी सारी स्वतन्त्रता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में चली जाती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि जब उसके ध्यान में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तो वह ऐसे कुल हलके पर सामूहिक रूप से जुर्माना कर सकता है। कल परसों की बात थी कि यहां मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि पूर्वजों के पापों को उनके बच्चे क्यों भोगें। इस बात को मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं कहा था और में उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने ही कहे हुए कौल पर ध्यान दें। यदि हमारे प्रान्त में कुछ तत्व ऐसे हैं जो शान्ति और सुरक्षा के दुश्मन हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनके साथ सख्ती से सख्ती का बर्ताव करिए; हम आपके साथ हैं; लेकिन यह कोई न्याय की बात नहीं कि तबेले की बला बन्दर के सर, गुन्हा करे कोई और सजा मिले किसी को, और उस हिस्से में रहने वाले सभी नागरिकों को, यह कहां का न्याय है ! आप दावा करते हैं कि भारतवासी अपनी नई स्वतन्त्रता कायम करने चले हैं और इस स्वतन्त्रता की रोशनी में हम अपने मुल्क के कामों को बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं और उसके प्रकाश में अपने सारे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि यदि यह विधेयक, जो हमारे सामने रखा जा रहा है और जिसको आप पास कराना चाहते हैं उसका परिणाम यह होगा कि आप और हम सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रहम की वस्तुएं बन जावेंगे। जिसको वह जुर्माने से माफी देना चाहेगा उसको अधिकार होगा माफी देने का; जिस पर वह जुर्माना करना चाहेगा, करेगा और उसको कितना जुर्माना किस आदमी पर करना चाहिये यह सिर्फ उसीकी मर्जी की बात होगी।

इसलिए हमारे राजस्थान में जब से यह कानून बन जावेगा तो उसका परिणाम सिर्फ एक होगा और वह यह कि हमारे प्रान्त में प्रजातन्त्र का राज्य नहीं रहेगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का राज्य रहेगा। आपकी मजाल नहीं कि आप उसको नाराज कर दें। मैं तो यह कहूंगा कि सर्वत्र पुलिस राज्य होगा। इसीलिये मैं अपने सभी साथियों से यह निवेदन करता हूं कि आप जो हमेशा यह कहते हैं कि हम हिन्दुस्थान में स्वतन्त्रता के लाने वाले हैं तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता के लाने वाले साथियों के लिये यह कितनी शोभा होगी कि इस किस्म के कानून हमारे प्रान्त में लागू किये जावें जो हमारे प्रजातन्त्र के लिये सीधे अभिशाप के रूप में समझे जावेंगे और आने वाली, भावी पीढ़ियें इस कानून को पास करने के लिये कभी भी आपको मुबारिकबाद नहीं देंगी; बल्कि यही कहेंगी कि अपने नागरिक अधिकारों की बुनियादों की जड़ों को हमेशा के लिये निकाल कर फेंक दिया और हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस की स्वेच्छा के हवाले कर दिया और खास कर ऐसी सूरत में जब हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जिक्युटिव की मातहती में काम करता है और हाईकोर्ट की उसको कुछ भी परवाह नहीं।

इसलिए मैं आपसे इन थोड़े से शब्दों से अपनी सारी शक्ति और बल के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी मेन्टल रिजर्वेशन (Mental Reservation) के और बगैर किसी दलगत भावना के, यह निवेदन करने का साहस करता हूं कि अब भी सोचिये, अब भी समय है आपके पास और इस कानून को वापिस लीजिये । हां, जब इसकी आवश्यकता हो प्रान्त में, बद इन्तजामी की सबब से इस कानून को हम एकमत होकर पास करने में आपके साथ होंगे लेकिन मैं समझता हूं कि वह समय अभी नहीं आया है और उसके आने की फिलहाल कोई सम्भावना भी नहीं है । इसलिए ऐसा स्याह कानून, हमेशा के लिए, कोइ अस्थिर समय के लिए नहीं, कोई एमरजेन्सी के समय के लिए नहीं हमेशा के लिए, बनाने का दुस्साहस न करें । भगवान आप को सद्बुद्धि दें; यही मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री गोपीलाल यादव:–अध्यक्ष महोदय, इस सिक्योरिटी बिल को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, और सिवाय एक शब्द के मुझे इसमें ऐसी बात नजर नहीं आई जिसका कि मैं विरोध करता । अगर वह शब्द नहीं होता और उसकी जगह पर सही शब्द रखा हुआ होता तो मैं सौ फी सदी इसका समर्थन करता । मैं आपको बतादूं कि वह शब्द क्या है ? वह सिर्फ इसके नाम से सम्बन्ध रखता है । इसका नाम रखा गया है दी राजस्थान सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट बिल । मैं सोचता हूं कि यह नाम गलत है । स्टेट पर कोई खतरा किसी तरह का नहीं । इसका नाम होना चाहिये दी राजस्थान सिक्योरिटी ऑफ दी कांग्रेसमेन बिल । अगर स्टेट शब्द हटा दिया जाता तो मैं इसका हरूफ ब हरूफ समर्थन करता । जो मेरे मित्र यह मानते हैं कि राजस्थान पर कोई खतरा नहीं वह बहुत भूल करते हैं । मैं आपको बताऊंगा कि जहां लोगों की खड़ी फसलें छीन ली जायें, जहां गांव के गांव बेदखल कर दिये जायं, जहां लोगों की जायदादें जबरदस्ती छीन ली जायं, वहां पर क्या यह खतरा नहीं? वह लोग इन जुल्मों को अधिक बरदास्त नहीं कर सकते और मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि अगर यही अमल एडमिनिस्ट्रेशन का रहा तो गांव के गांव खड़े होजायेंगे, बगावत करने के लिए और उस वक्त बगावत को रोकने के लिए यह बिल आवश्यक होगा । कांग्रेसमेनों की लूट को लोग अब अधिक बरदाश्त नहीं करेंगे । मैं इसलिए यह कहने को आज यहां उपस्थित हुआ हूं कि राजस्थान के अन्दर सुरक्षा का मामला बड़ा टेढ़ा है, बड़ा खतरनाक है । कोई मुल्क ऐसा नहीं है, मैं इसको मानता हूं, जहां प्रजातंत्र में ऐसे कानून पास हों । हमारे लिए इससे अधिक शर्म की और क्या बात हो सकती है कि हम अपने देशवासियों का विश्वास नहीं करें, हम अपने देशवासियों को देशद्रोही मानें । मैं यह मानता हूं कि हमारे राजस्थान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पक्का देशभक्त नहीं हो । देश की सुरक्षा के लिए, देश के मान के लिए, देश पर विदेशियों का कोई आक्रमण न हो, उसके लिए राजस्थान का एक एक बच्चा उसी प्रकार खून बहाने को तैयार है जिस प्रकार की सन् ४७ से पहले देश में लोग तैयार रहते थे । लेकिन मैं इस चीज को जरूर बता देना चाहता हूं, मेरे मित्र इसको बुरा मानेंगे, कि आज की कांग्रेस हकूमत सिर्फ एक ही मायने में देश की हकूमत कही जा सकती है कि उसमें हिन्दुस्तानी लोग हैं । वर्ना वह हर प्रकार से अंग्रेजी हकूमत है । उसी ढांचे पर

चल रही है, उसी डिवाइड और रूल की नीति से चलती है । जैसे कि अंग्रेज अपने इंगलैण्ड में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए हुकूमत करते थे, इसी तरह अपने और अपने साथियों की भलाई के लिए ये भी काम करते हैं । जब इस प्रकार का काम होता है तो उनको देश के लोगों से खतरा हमेशा बना रहेगा ।

प्रजातंत्र की नींव लोगों की मोहब्बत पर पड़ती है । मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त दिल्ली के अन्दर हो-हल्ला हो रहा था उस समय नेहरुजी एक भीड़ के अन्दर घुस गये। उनके पास एक भी हथियार नहीं था । वह जानते थे कि देश का एक एक बच्चा मुझसे मोहब्बत करता है; मैंने तमाम जीवन देश की भलाई में काटा है; क्या हिन्दुस्तान के अन्दर एक भी ऐसा गद्दार होगा जो मेरे ऊपर हथियार उठाये ? उन्होंने न मिलिटरी अपने साथ ली और न पुलिस और भीड़ में जाकर लोगों के चांटे मारना शुरु कर दिया । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के देशभक्तों की सरकार हो तो उनको कत्तई ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी; लेकिन जहां तक यहां का प्रश्न है वे इस बात को मानते हैं और सच्चे दिल से मानते हैं कि वे देश की भलाई के लिए काम नहीं करते हैं । वे सच्चे दिल से इस बात को मानते हैं कि देश के अन्दर इस वक्त प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र के नाम पर कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए प्रजातंत्र के नाम को एक्सप्लोइट कर रहे है, महात्मा गांधी के नाम को एक्सप्लोइट कर रहे हैं कांग्रेस के नाम को एक्सप्लोइट कर रहे हैं; और प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं।

मुझे बड़ा दुःख हो रहा था जब कि मेरे मित्र, श्री इन्द्रनाथ मोदी कह रहे थे कि यह प्रजातंत्र के लिए कलंक हैं, इससे हमारे फन्डामेन्टल राइट्स खतम हो जायेंगे। क्या मि० मोदी यह मानते हैं कि आज राजस्थान में किसी के फन्डामेन्टल राइट्स सुरक्षित हैं ? मैं यह नहीं मानता कि राजस्थान में आज हमारे पास कोई फन्डामेन्टल राइट्स मौजूद हैं । अगर हैं तो सिर्फ उन आदमियों के अन्दर, उन आदमियों के पास जिन के पास इतने साधन हैं कि वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकें । मैं यह मानता हूं कि प्रजातंत्र कि एक दैन हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है । जो आदमी वहां पहुंच सकते हैं उन्हें कुछ अधिकार हैं; लेकिन जो आदमी वहां नहीं पहुंच सकते है उनके लिए कोई अधिकार नहीं है । इसलिए आप इस बात को भूल जाइये कि देश के लोग अब और अधिक अपनी जायदाद छीना जाना बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे । वे इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे । इस बिल से हमारी रक्षा होने वाली नहीं है । आप वास्तव में जनता की सेवा करेंगे, आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलेंगे और इन चार सालों के अन्दर यह जो भावना आपके अन्दर पैदा हो गई है कि जो कुछ करना है अपने लिए जायज और नाजायज करके अपने आपको अधिकार और सत्ता पर आरूढ़ रखें, इस बात को छोड़ दीजिये । कुछ दिनों के लिये, ४–५ साल के लिए अगर आप फिर महात्मा गांधी के अनुयायी बन जायेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी । देश का एक एक बच्चा आपके कहने पर, आपके इशारे पर अपने आपको आग में झोंकने को तैयार होगा, और कोई अराजकता हमारे देश में नहीं आ सकती ।

श्री किशनलाल शाह:–माननीय अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सुरक्षा बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ, और इसके विरोध में कुछ विद्वत्ता के प्रदर्शन भी हुए हैं। जब इस बिल के विषय में भाषण हो रहे थे तो मुझे कुछ, दो चार बातें याद आईं। गत ३–४ सालों से मेरे यहां अकाल पड़ा हुआ है और उस अकाल के लिए, अकाल पीडित जनता के लिए, धान की जब सरकार से मांग की जाती है और सरकारी पक्ष की ओर से कोई अधिकारी उसकी जांच करने के लिए आता है तो ब्लेकमार्केटियर्स यह कहते हैं कि यहां तो, धान की आवश्यकता नहीं; हमारे पास काफी धान पड़ा हुआ है, कोई लेने नहीं आता। और जब सरकारी अधिकारी वहां से चला जाता है और जनता धान मांगने के लिए आती है तो उससे कहा जाता है कि यहां धान है ही नहीं। इससे साफ नजर आता है कि जो ब्लेकमारकेटियर्स हैं, उनके जो शोषण करने के साधन हैं उनकी आड में आनेवाला कोई भी कार्य होगा वह उसका विरोध करेंगे। यह चीज मेरे यहां ही नहीं दिखाई देती है, परन्तु मेरा जहां तक खयाल है यह उसूल सब ब्लेकमारकेटियर्स पर लागू होता है। जब इस उसूल को सामने रखकर इस सुरक्षा–बिल के विरोध में जो भाषण हुए हैं, जो दलीलें दी गई हैं उनको सुना तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे दिमाग में ऐसी एक शंका हुई कि कहीं यह तो नहीं है कि वे इस बात की छूट चाहते हैं कि ऐसा कानून नहीं आये जो उनकी जो लूट चल रही है वह निरंकुशता के साथ जो वे शोषण और लूट करते रहे हैं, वह छूट चलती रहे। तो अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नतीजा निकाला कि जो घटनाचक्र हमारे सामने है और स्वतंत्रता के बाद से आज तक जो कुछ घटनाएं घटी हैं, और अब भी घटती जा रही है, जो योजना लोगों के दिमाग में है उनके देखने से मुझे यह महसूस हुआ कि इसे कांग्रेसमेन की सुरक्षा का कानून बताकर, प्रजातन्त्र की हत्या का कानून बताकर, देश की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करने वाला स्याह कानून बताकर, काला कानून बताकर, वह यह बताना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और उसकी अनावश्यकता पर मैं यह कहना चाहूंगा, कि अध्यक्ष महोदय, कि हिन्दुस्तान में ऐसे तत्व हैं जो हिंसात्मक उपायों से इस सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। क्या इन सब विरोध करने वालों का यह मतलब है कि राजस्थान में तो रामराज्य आ गया ? राम–राज्य का नाम लेने से ही, राम–राज्य का नारा लगा देने से ही उनके दिमाग में यह आगया कि कोई ऐसे तत्व मौजूद नहीं है जो इस बिल की आवश्यकता को साबित नहीं करे। मैं, अध्यक्ष महोदय यह निश्चित तौर पर कह दूं कि यह उनकी कल्पना मात्र है कि यह कहा जाय कि यह, कांग्रेसमेनों की सुरक्षा का कानून है। जो इसे कांग्रेसमेन की सुरक्षा का कानून मानते हैं, उनके लिए मैं कहता हूं कि कांग्रेसी, जो जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ता है, प्रगति के साथ आगे बढ़ता है; प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी और हिंसात्मक तत्वों के खिलाफ लोहा लेता है तो उसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। यदि इस बिल से किसी जनसेवी, किसी कांग्रेसमेन की सुरक्षा होती है तो मैं कहता हूं कि वह जरूरी है। यह कहना कि कांग्रेसमेन की सुरक्षा का कानून है और इस तरह से कांग्रेसमेनों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है तो मैं एक प्रत्यारोप लगाता हूं कि उनके दिमाग में एक ऐसी योजना है जिससे कि वे चुन चुनकर कांग्रेसमेनों को खतम करना

चाहते हैं । मैं यह चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि इस तरह से कांग्रेसमेन को खतम नहीं किया जा सकता ।

इस बिल के लिए यह कहना कि यह प्रजातंत्रवाद की हत्या है, बिल्कुल गलत है । एक चीज जो सामने आती है वह यह कि जो लोग कानून के मुताबिक चलने वाले हैं, जो लोग लॉ एन्ड आर्डर को मेन्टेन रखते हैं उनकी भी सुरक्षा की गारन्टी इस बिल में है । अगर उनको खतरे में डालने वाली कोई चीज होगी तो उनको सजा दी जायगी । जहां तक उद्देश्य का प्रश्न है, इस बिल का, इसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं मालूम देती ।

यह कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे हैं, एक्जीक्युटिव ऐसी है, कांग्रेसी सरकार ऐसी है—मैं समझता हूं जो लोग यह कहते हैं उनको यह बहम है और उस बहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं मिल सकती है । यह वहम उन व्यक्तियों के दिल में पैदा होता है, जिनका दिल काला होता है और जिनका दिल काला नहीं होता तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूं, "मन चंगा तो कठौती में गंगा" । हो सकता है कुछ क्लाजेज में शब्दों के सम्बन्ध में हेरफेर करने की जरूरत हो ।

कुछ लोग यह कहते हैं कि यह हमेशा के लिए क्यों किया जा रहा है, कुछ समय के लिए करते तो कोई आपत्ति नहीं थी । यहां से जब अंग्रेज चले गये, सामन्तशाही को पदच्युत किया गया, सामन्तवाद समूल नष्ट हो चुका । फिर भी यह बात पूरी तौर से अभी नहीं हो पाई है । आज भी सामन्ती तत्व मौजूद हैं, जो हिंसात्मक तरीकों से काम लेने को तैयार हैं । इसके बाद में डेमोक्रेसी का रूल आता है । डेमोक्रेसी के रूल में बिना डेमोक्रेटिक तरीके से देश को ऊंचा उठाया नहीं जा सकता । यह प्रगतिशील तरीके का सवाल है । इन चीजों को वे हिंसात्मक तरीके से उलटना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह तरीका निश्चित समय के लिए नहीं है; जब तक रूल लागू है प्रजातंत्रात्मक तरीके से शासन चलेगा । यह जो सामन्तवाद क एकतंत्रवाद तरीके हैं वे खत्म हो जायेंगे । जब निश्चित तौर पर संविधान के आधार पर प्रजातंत्र का तरीका कायम कर दिया जायगा तब तक के लिए यह तरीका मान लिया जायगा । हमेशा से इस तरह के परिवर्तन के समय नया युग आया है और नये युग को खतरा पैदा न हो इसलिये यह कानून स्थायी बनाया जाता है; किसी निश्चित अवधि तक के लिए नहीं बनाया जा सकता । इसके स्थायित्व के खिलाफ जो आवाज उठाई गई है, वे दलीलें जायज नहीं हैं । जब राज्य की सुरक्षा का प्रश्न आता है, सरकारी मशीनरी को उलटने का सवाल आता है, तो सरकारी मशीनरी के असन्तोष और परिवर्तन काल हैं । इस सन्धिकाल में नाना प्रकार के असन्तोष हो सकते हैं कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, गड़बड़ियां भी हो सकती हैं । असन्तोष को तूल देकर जो इस समय शासन की मशीनरी काम कर रही है, उसको हिंसात्मक तरीके से, प्रजातंत्र को उलटने के वे साधन होते हैं । इतिहास इस बात का साक्षी है । ऐसे समय में टेलीफोन काट दिये जाते हैं, रेलवे लाइनें उखाड़ दी जाती हैं; ताकि मशीनरी ठप्प कर दी जाय। जगह जगह का लॉ एन्ड ऑर्डर डिस्टर्ब कर

दिया जाता है । उसका नतीजा यह होता है कि हम ठीक ढंग से काम नहीं कर सकते । ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ राज्य को कायम बनाने के लिए यह सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है । यह बिल नागरिकों की आजादी की सुरक्षा के लिए, उनको सब प्रकार की सहूलियतें प्रदान की जायं, पावर हाउस का कार्य बराबर होता रहे, रेलवे की लाइनें ठीक रहें, दूसरे जितने भी तरीके हैं उन सब की सुरक्षा की जरूरत है इसलिये इस बिल में इनकी सुरक्षा का प्रोविजन आया है । जहां तक राज की सुरक्षा का सवाल है, यह जायज होता है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा बिल के विरोध में बोलने वाले जितने सज्जन हैं उनके दिमाग में प्रजातंत्रवाद को हिंसात्मक तरीकों से खत्म करने की योजना मालूम देती है ।....

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--Mr. Speaker, Sir. I want to protest again the wild, vague and absolutely unfounded allegations which are being made by the honourable friend opposite. I submit that if the honourable member is bent upon creating such conditions in the House: well, it is his own responsibility. But I want him to prove, by definite proof, which may be cited before the House, that we want to upset the Government by any violent means. This is an absolutely unfounded and wicked charge, Sir.

श्री अध्यक्ष:- The Hon'ble Member should not take all these things personally. It is not a question of personal attack. He has made the charge against a particular ideology and not against a particular group or against a particular person.

श्री इन्द्रनाथ मोदी: With very great respect to you, Sir, I think if I heard honourable member correctly he said that everyone of the speakers against the Bill is a person who has a definite plan to upset the Democratic Government in Rajasthan and this is a very serious allegation and I submit, Sir, that this be withdrawn......

श्री अध्यक्ष:--You may repeat what have you to say ?

श्री किशनलाल शाह: --Regarding what, Sir, ? I am talking of an element and I have said nothing about individuals.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--I think his speech has been recorded and I would request that the Hon'ble Speaker may kindly verify what he has said, as regardo individual speakers.

श्री किशनलाल शाह:—I do not follow.

श्री इन्द्रनाथ मोदी.—You will never follow me.

श्री अध्यक्ष.—The charges should be on a decent standard and should not relate to persons or to speakers in individual.

श्री किशनलाल शाह.—Nothing of the sort, Sir. I was only talking of the elements and if somebody takes it upon himself, I think, "वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं।"

(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह साफ तौरपर विदित है कि जब विरोधी सरकार बनती है तो एक तरह का मीठा जहर (Sugar-coated poison) तैयार किया जाता है; तब उनके सामने कोई चीज नहीं रह जाती कि कानून है या नहीं । अगर वे सही हैं कि सरकारी मशीनरी कानून का दुरुपयोग करती है तो they have got the right to complain against the officer concerned and bring him to book. मैं यह अर्ज कर रहा था, यह जो एलीगेशन (allegation) लगाये गये हैं, सुरक्षा बिल के बारे में, कि यह तो केवल प्रजातंत्रवाद की हत्या करने का प्रयास है: मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह बिल प्रजातंत्रवाद की सच्चे मायने में रक्षा करने वाला बिल है; लेकिन प्रजातंत्रवाद की जो हत्या करना चाहते हैं उनकी हत्या करने वाला यह बिल अवश्य है । यही मेरा निवेदन है कि सुरक्षा बिल को पास किया जाना चाहिये । राजस्थान में आज ऐसे तत्व हैं, इस प्रजातंत्रवाद को खत्म करने के लिए, जो हिंसात्मक तरीके अख्त्यार करना चाहते हैं । उनको रोका जाने के लिए इस सुरक्षा बिल का पास होना आवश्यक है ।

श्री तनसिंह:—अध्यक्ष महोदय, यह बिल हमारे विचार के लिए प्रस्तुत हुआ है। अच्छा होता कि यह बिल उन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता जो जनता के प्रतिनिधि कहलाने वाले लोग हैं; जो सामन्तवादी और प्रतिक्रियावादी कहे जाते हैं। लेकिन जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि हम जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं और ऐसा करने आये हैं और कर रहे हैं: उनके द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा इस बिल को रखना और उसका समर्थन करना एक आश्चर्य में डालने जैसी चीज है। किन्तु इसका समाधान आसानी से हो सकता है और वह यह है कि प्रभुता पाने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रभुता का मद नहीं होता। ये (कांग्रेसी) वे दिन भूल गये जब वे गली-गली में जाकर जनता के अधिकारों की चर्चा करते थे और कहते थे कि हम तुम्हारे अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे। इस आजादी के बाद, यह भी कहा था कि हमने ही यह आजादी दिलाई है। आज वे उन बातों को भूल गये हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेसी हैं जिन्हें ईमानदारी से सोचना चाहिए। क्या वे आज उस अवस्था को भूल गये? क्या उन्हें राज और राजसत्ता का इतना मद होगया है जिसके करण वे आज ऐसे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो तरीका हमारे सदन में एक दूसरे को समर्थन करने का है वह स्तुत्य नहीं और जैसा कि यह कहा जाता है कि विरोधी दल सिर्फ इसलिए है कि उसका काम विरोध करते जाना है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस सदन में कहा था कि हम ऐसी परम्पराएं कायम करना चाहते हैं जिससे इस सदन के द्वारा राजस्थान और राजस्थान की जनता का भविष्य उज्ज्वल हो और उन्होंने यह भी बतलाया था कि हम यह भी नहीं चाहते हैं कि यहां कोई विरोधी पक्ष हो, "हां" पक्ष हो या "ना" पक्ष हो; किन्तु एक पक्ष रहे और उन्हें एक हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि एकता का आह्वान किया जाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि यह एकता की बुनियाद सद्भावनाओं और सिद्धान्तों पर हो सकती है। यह एकता किन्हीं लोगों के इस दल से उस दल में बैठने या लालच द्वारा नहीं हो सकती; सिद्धान्तों पर, अधिकारों पर कुठाराघात होजाने पर नहीं हो सकती। यह एकता तो पारस्परिक सद्भावना पर ही हो सकती है। यदि वे सद्भावनाएं देने के लिए तैयार हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सद्भावनाएं वापिस प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि वे इस प्रकार की परम्पराएं रखते, यदि इस प्रकार उदार होकर जनता के उन अधिकारों के लिए प्रयत्नशील होते तो जनता के प्रतिनिधि जरूर साथ देने का प्रयत्न करते। लेकिन हम तो यह देखते हैं कि उनमें से बहुत से लोग यदि ईमानदारी से सोचें तो यह अनुभव करेंगे कि यह ऐसा विधेयक है जो जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करता किन्तु उनका खंडन करता है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से उन्हें उधर बैठना पड़ रहा है; अतः वे मजबूर होकर शायद इसका समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमें विरोधी दल में होने का दुःख नहीं है। और हमें तो एक बार यह भी कहा गया था, अर्थ मंत्री द्वारा, कि विरोधी दल डेमोक्रेसी के वाच-डॉग्ज हैं। हम उनके इन शब्दों का स्वागत करते हैं और इसका प्रत्युत्तर भी हमारे उपनेता ने दे दिया था कि यदि हम डेमोक्रेसी के वाच डॉग्ज हैं तो वे डेमोक्रेसी के ब्लड-हाउन्ड्स से कम नहीं हैं। आप जिस जिम्मेदारी और ईमानदारी से इसको रखना चाहते हैं, हम उसी ईमानदारी से इसका खंडन करना चाहते हैं। गंगा बिल्कुल उल्टी बह रही है। अतः नम्रता पूर्वक मुझे यह निवेदन करना है कि इस बिल को वापिस ले लिया जाय जिससे जनता के साथ बड़ा न्याय होगा। इस सारे बिल को देखने पर मुझे एक चीज मालूम हुई और वह यह है कि यदि इसकी १४ (१) धारा जो इस प्रकार है:—

"On the coming into force of this Act, the Rajasthan Public Security Ordinance, 1949, shall be repealed."

ही रहती तो ठीक था और हम मानते कि यह जो कदम है वह प्रगति का कदम है और उन बाकी की धाराओं में जो कुछ है, मैं निवेदन करूंगा कि जनता की अमूल्य निधि का एक प्रकार से अपहरण है। जनता के ये चौदह रत्न ये चौदह धाराएं हैं। जनता की रक्षा का भार सरकार पर है और सरकार को इनकी रक्षा करने को प्रस्तुत रहना चाहिए। किन्तु यदि वह उनके अधिकारों का अपहरण कर रही है तो किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है कि वह जनता के साथ ठीक कार्यवाही कर रही है।

जो कुछ साधारण नियम हमारी सरकार के पास हैं वे इतने प्रबल हैं कि वे उनसे किसी भी प्रकार की अनियमित अथवा गैर कानूनी कार्य रोक सकती है। बल्कि कल तो यहां तक बात हो गई थी और यह भी स्पष्ट होगया था कि गोली तक चलाने का कार्य भी किया जा सकता है और उस पर किसी प्रकार की जांच भी नहीं कराई जा सकती है। ("करतल ध्वनि"–विपक्ष की ओर से) अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास किस प्रकार के बल का अभाव होगया है कि वह इस बिल को पास करना चाहते हैं। उनके पास इतनी ताकत होते हुए भी वे इस बिल को क्यों पास करना चाहती है। यह सब उन्हें वहम हो रहा है। लोग उनके विरोधी होकर आरहे हैं। चारों ओर से लोग आ रहे हैं उनके विरोध में। वे यह समझ रहे हैं कि हमें नष्ट किया जा रहा है; जुलूस इसलिए निकाले जा रहे हैं कि हमें खत्म किया जाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे पूर्व वक्ता के शब्द दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि यह उनका वहम है यदि उन्हें यही वहम है तो वहम की दवा तो लुकमान हकीम भी नहीं जानता है।

उन्हें जो बदसूरत तसवीर समाजकी दिखाई दे रही हैं और वे यह देख रहे हैं कि राजस्थान में सिक्यूरिटी नहीं है तो मुझ से पूर्व के वक्ता के शब्दों में मैं कहूं कि यह सिक्यूरिटी राजस्थान की नहीं बल्कि अपनी मिनिस्ट्री की की जारही है। मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हम जितने भी यहां आये हैं इस नियत से नहीं आये हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष की, किसी संस्था विशेष की या किसी मंत्री मंडल की रक्षा करें किन्तु हम यहां इसलिए आये हैं कि हम अपने देश के प्रति जो हमारा फर्ज है उसको अदा करें। यदि आज एक संस्था ताकत में है तो कल दूसरी संस्था ताकत में आसकती है। कहा है....

Princes or Lords may flourish or may fade,
A breath can make them as a wreath has made;
But a bold peasautry their countries pride,
When once lost can never be supplied.

आज सत्ता आपके पास है। जब यह आपके पास से चली जायगी तो दूसरी के पास और फिर तीसरे के पास जा सकती है। शासन पर कोई आसकता है और कोई विचलित हो सकता है। किन्तु राजस्थान के मौलिक अधिकार, राजस्थान की जनता के मौलिक अधिकार, उनका स्वातंत्र्य; एक बार जाने के बाद लौट आना कठिन है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसे गहराई और ईमानदारी से, तत्परता के साथ सोचने की आवश्यकता है। क्या कांग्रेस मंत्री मंडल ऐसे विधेयक पेश करते हुए नहीं शर्माता कि जो मानव अधिकारों के लिये घातक है। मैं इतना ही कह कर अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल: I want to make an amendment to the motion made by the Hon'ble Chief Minister. According to Rule 122 of the Rules of Business the Bill may be referred to

a Select Committee, the personnel of which may be fixed according to Rule 125 (2)at a later date.

श्री अध्यक्ष:—You want to make an amendment under Rule 122 or 124 ?

श्री गुलाबचंद कासलीवाल:—Under Rule 124, Sir, the Bill be referred to a Select Committee, the personnel of which may be specified at a subsequent sitting of the House as laid down under Rule 125 (2)

श्री अध्यक्ष: - For eliciting public opinion ?

श्री गुलाबचंद कासलीवाल:—No. For referring to a Select Committee, as laid down in Rule 124 (a)

श्री अध्यक्ष:—What about personnel ?

श्री गुलाबचंद कासलीवाल.—The personnel may be taken in a subsequent sitting.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Sir, I beg to move another amendment with your permission, namely:-

"That the Rajasthan Security of the State Bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by January, 31st."

श्री अध्यक्ष: – I will like to have these amendments in writing.

श्री टीकाराम पालीवाल.—Has the amendment of the Hon'ble Member been moved ?

श्री अध्यक्ष?—I will like to have it in writing.

श्री टीकाराम पालीवाल:—That is all right, but has it been moved ?

श्री अध्यक्ष:—He will have to move it formally.

(विराम)

I have got two amendments with me. One is by Shri Kasliwal and that is under Rule 122 (b) and Rule 125 (2), that the Rajasthan Security of the State Bill, 1952, be referred to a Select Committee the personnel of which may be fixed at a subsequent sitting of the House. The second amendment is by Shri Inder Nath Modi that the Rajasthan Security of the State Bill, 1952 be circulated for purposes of eliciting public opinion thereon by January 31, 1952......I think it is 1953.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I am sorry, it may kindly be corrected. That is an error of proximity.

श्री गुलाबचंद कासलीवाल:—Sir, I would appeal to the Leader of the House to kindly accept the amendment.

श्री अध्यक्ष:—Will Mr. Kasliwal kindly make a time-limit also ?

श्री गुलाबचंद कासलीवाल:—Rule 125 (2) lays down, "The other members of the Committee shall be appointed by the Assembly when the motion that the Bill be referred is made, or in the case of a motion made by way of amendment under rule 124 on that day or at any subsequent sitting." My submission is that it may be taken up either on Monday or Tuesday, so far as the personnel are concerned, and as the Hon'ble Deputy Leader of the Opposition has said I would take his amendment as an amendment to my motion, according to rule 124 (2). I read the whole clause:—

"124 (b)—At this stage no amendments to the Bill may be moved but—

(a) If the member in-charge moved that his bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the bill be referred to a Select Committee or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a day to be specified in the motion.

(b) If the member-in-charge moved that his bill be referred to a Select Committee, any member may move as an amendment that the bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motiou.

My humble submission is that my amendment stands in priority to that of the Deputy Leader of the Opposition and I would appeal to the Leader of the House to accept my amendment and finalise the matter.

श्री टीकाराम पालीवाल:—Mr. Speaker, Sir, I accept the amendment moved by Shri Kasliwal.

श्री अध्यक्ष:—The point of the order on which Mr. Kasliwal is so sure, I do not think he is the member in charge of the Bill and so Rule 124 (2) (a) does not come into operation, unless the Member in-charge himself moves it.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—No, Sir. Will Rule 122 not apply ? I think it does

श्री अध्यक्ष:—Yes. Unless the Member in-charge himself moves the amendment, the Rule does not come into operation.

श्री टीकाराम पालीवाल: In that case, Sir I have to state that I am prepared to accept Mr. Kasliwal's amendment and I have to oppose Mr. Modi's amendment.

श्री अध्यक्ष—But in that case it will be put to vote.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—If it goes to the Select Committee the difference is there because I think when the Bill is referred to a Select Committee the House accepts the principle of the Bill, whereas when it is referred for eliciting public opinion, that implication does not arise. So far as I understand the rule and in as much as we have opposed the principle of the Bill, there is every justification from our point of view to move the amendment which I did. It is my misfortune, however, that from the seat where I happen to sit, nothing can be accepted by the Hon'ble member opposite and therefore I am not surprised if this gesture of ours is not accepted by him. I take it as a matter of routine course, and if he has not accepted it, very well, let him not do so.

श्री गुलाबचंद कासलीवाल:-What the Deputy Leader of opposition just said has surprised me. I thought my amendment would appeal to him. That is why I wanted to refer the Bill to the Select Committee. This was also agreed to by the Chief Whip of the Opposition. This amendment is being made with his consent and I wonder why the Deputy Leader of the opposition should not accept my amendment. I can see his point . If the Select Committee thinks it fit it may refer it for circulation for eliciting public opinion.

श्री टीकाराम पालीवाल:—I understood, Sir, that names of the personnel of the Select Committee on the Opposition side have been agreed to by the Chief Whip on that side.

श्री भैरोसिंह (खेजडला):—I never agreed to this. I said we shall oppose the Bill and if our point of view is not accepted, then we can give names for the Select Committee personnel.

श्री इन्द्रनाथ मोदी: I think the position is now clear. Because I was not aware whether the Chief Whip had already agreed to the appointment of the Select Committee, he had never consulted me. However, in view of the statement that he has made, it is absolutely clear that we were free to make any amendment as we thought proper. In any case, we would now be ready to give certain names from our side for the Select Committee and that makes the whole position, I think clear, beyond any shadow of doubt. In any case, Sir, it was scarcely fair to me for the Hon'ble Member, Mr. Kasliwal, to have brought this talk which was of an absolutely informal character in to the proceedings. However, he thought it best to support his amendment by his somewhat informal talk and I think it

was absolutely fair to oppose the Bill. In the circumstances, Sir, and in view of the statement which our Chief Whip has made, I think it proper to refer the Bill to the Select Committee.

श्री अध्यक्ष:-You agree to it.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-In view of the assurance that the Hon'ble Member has given to us, I want to express our thankfulness, sitting on this side, and to state that we are prepared to co-operate with them. It has been suggested that the question be left over for the Select Committee to decide whether they would like to circulate the Bill for eliciting public opinion. In that case I am prepared to withdraw my amendment.

श्री एच. के. व्यास:-Mr. Speaker, Sir. In that case, I want to make the amendment which Mr. Modi has withdrawn.

श्री अध्यक्ष:-No, No. No amendment now. The question is that the amendment moved by Shri Kasliwal that the Rajasthan Security of the State Bill be referred to a Select Committee, the personnel of which may be appointed on a subsequent day in a sitting of the House, be passed.

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष:-यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जाता है और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के, जिसके कि परसनल बाद में तय होंगे; सुपुर्द किया जाता है।

जयपुर विधि मान्यता विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष Now we come to Jaipur Laws Validating Bill. Shri Ram Kishore Vyas.

(अनुपस्थित)

Should it be taken that this be dropped ?

(विराम)

Cannot you move it, Leader of the House ?
(Shri Ram Kishore Vyas coming)

श्री रामकिशोर व्यास:-Sir, I beg to move that the Jaipur Laws Validating Bill, 1952, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष:—Motion moved. The motion is that the Jaipur Laws Validating Bill, 1952, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

एक सदस्य:--I ....

श्री अध्यक्ष:--This is the consideration stage. The Hon'ble Member has moved the Bill for consideration. If there is anything that a Member wants to discuss on the principle of the Bill, he can discuss.

श्री रामकिशोर व्यास:—I move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष :–The stage of consideration is not over. For consideration of the Bill the same will be proceeded clause by clause.

श्री टीकाराम पालीवाल:—It seems that nobody wants to enter into discussion.

श्री अवनिकुमार:—We have not got any schedule to the Act.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I beg to move an amendment that the Bill be referred to a Select Committee whose personnel will be named on a day which may be convenient to the House.

श्री रामकिशोर व्यास:–जयपुर विधि मान्यता विधेयक, जो सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उसका उद्देश्य जैसा कि इस बिल के साथ दिये हुए ओबजेक्ट्स और रीजन्स में लिखा है वह यह है कि पुराने जयपुर स्टेट में जो नियम थे उनमें एक जयपुर लॉ एक्ट था । उसके अनसार जो कानून बनते थे वे गजट में छपने चाहिये थे । उस जमाने में कुछ कानून बने, जिनके लिये यह कहा गया कि वे जयपुर लॉ एक्ट के माफिक नहीं क्योंकि वे उस समय जयपुर गजट में शाया नहीं हुए और कुछ फैसले हाई कोर्ट में इस प्रकार के हुए कि उनका गजट में शाया होना बहुत जरूरी था। जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करने के लिये यह एक्ट बिल के रूप में आपके सामने पेश किया गया है । इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिससे इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए । मैं समझता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी महोदय के भाषण को सुना और उसे समझने की कोशिश की है और उनका यह दावा है कि इस बिल में कोई सोचने और समझने की बात नहीं हैं मुझे दुःख है कि मैं न्याय मंत्रीजी के इस अन्यायपूर्ण दावे से सहमत नहीं हूं और उसको मंजूर करने से मजबूर हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास:–मैंने यह नहीं कहा कि मेरा दावा है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-जिस चीज को यहां पर वेलिडेट किया जाने की कोशिश है यह कानून के मानें हुए सिद्धान्तों का विरोध है। उनका प्रयास एक साधारण था रुटीन routine प्रयास नहीं कहा जा सकता । आप किसी भी कानून को किसी भी प्रान्त की जनता पर लागू करना चाहें और फिर आप यह भी उचित नहीं समझें कि जनता को उस कानून को जानकारी न हो और फिर भी वह लागू कर दिया जावे । यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि कानून के क्षेत्र में एक बुनियादी बात है और चूंकि यह बिल इस बुनियादी बात से, इस मूलभूत सिद्धान्त से टकराता है, इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी मारफत इस हाउस से निवेदन करूंगा कि इस बिल के सिद्धान्त पर ठीक प्रकार से सोचें । मैं हाउस में हमेशा यही निवेदन करता आया हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि लेजिस्लेशन के मामलों में हमें अनुचित शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिये और यह काम बहुत सोच विचार कर करें। जो मामले हम अभी तक ठीक प्रकार से नहीं सुलझा पाये उन्हें हमें सुलझाना चाहिये और उनको सुलझाने में यदि एक दो महीनें और भी लग जाएं तो वह प्रयास एक उचित दिशा में होगा; अनुचित दिशा में नहीं ।

शायद माननीय न्याय मंत्रीजी को मालूम होगा कि जयपुर के एक पुराने कानून के संबन्ध में एक छोटे से मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक अपील पहुंची और उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हुआ कि जिस कानून के आधार पर उस मामले में मुलजिम को सजा दी गई वह कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुकूल शाया नहीं किया गया था, जिससे राज्य के न्यायालयों की आज्ञा किसी भी प्रकार से उचित नहीं समझी जाती थी। वह मामला, जहां तक मुझे याद है, ओपियम एक्ट के मातहत था । लेकिन यदि न्याय मंत्रीजी इस फैसले को पढने की कोशिश करते तो उन्हें इस बिल के पीछे जो प्रयास है वह कानून के एक माने हुए और मंजे हुए सिद्धान्त के इतना प्रतिकूल है कि इस सिद्धान्त को एक मामूली बातचीत से उलट देने का प्रयास करना मेरे लिये या किसी दूसरे के लिये उचित नहीं है; इसलिये मेरा इस समय भी निवेदन है कि जो थोड़े से शब्द मैंने हाउस के समक्ष रखे हैं उन पर वे मनन करने की कृपा करें और जो बातें इस बिल के जरिये से कानून के रूप में प्रस्तावित की गई हैं उनको मानना हमारे लिये उचित होगा, तो हम मानेंगे । अगर हम ऐसा करेंगे तो उस बिल के पीछे जनमत होगा । लेकिन जिस स्थिति में यह हमारे सामने आया है, मैं यह कहूंगा कि इस मामले में हमें जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह मामला महत्व का है । इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं । इस प्रान्त की भलाई के नाते मैं माननीय न्याय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे छोटे से सुझाव को मानने की कृपा करें और सहयोग की नीति को अपनावें।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दूसरे विषय की चर्चा करते हुए विरोधी दल की ओर से कई बार यह कहा गया कि विरोधी दल सहयोग की भावना से काम करना चाहते हैं; लेकिन इधर सरकारी पक्ष उनके सहयोग का आदर नहीं करते और कितनी भी उचित बात कही जावे उसको भी स्वीकार नहीं करते । इस बिल के बारे में जो रुख विरोधी दल की ओर से आ रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह शायद निर्णय कर लिया है

कि इस ओर से कितनी भी निर्दोष बात कही जावें उसका जरूर विरोध किया जावे। यदि विरोधी दल के उपनेता निष्पक्ष रूप से, ठंडे दिल से देखें तो मेरा खयाल है कि इसमें कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है जितनी कि उन्होंने इस हाउस को बतलाई है। कुछ कानून ऐसे रहे हैं, हमको और आपको सबको मालूम है, पहले दिनों में, जब कि यहां भूतपूर्व राज्यों में लेजिस्लेशन नहीं था, एक्टों को सही रूप देने में थोडी बहुत गल्ती रह ही जाती थी। ऐसे ही कई एक कानूनों में छोटी मोटी गलतियें रह गई। मौजूदा गवर्नमेन्ट के सामने यह प्रश्न विशेष रूप से इसलिये आया कि अफीम के एक केस में मुलजिम के वकीलों की ओर से एक छोटे से वाकियात पर बहस उठाई गई कि यह कानून गजट में प्रकाशित नहीं हुआ था, जैसा कि होना चाहिये था और कानून सही होने पर भी न्यायपूर्ण होने पर भी पब्लिक पोलिसी, पब्लिक मौरल्स के लिये बहुत जोर दिया गया। उसमें छोटा सा नुक्स रह गया कि वह गजट में प्रकाशित नहीं हुआ और मुलजिम के वकीलों ने उस नुक्स का पूरा २ फायदा उठाया और मुलजिम रिहा हुआ।

आप सदन के सभी सदस्य अन्दाजा लगा सकते हैं कि अफीम का गैर कानूनी आयात-निर्यात करना समाज के लिए कितना हानिकारक है। लेकिन फिर भी जब मामला अदालत में जाता है तो वकील कितनी भी छोटी खामी रहती हो कानून में उसका लाभ उठाता है और उठाया गया है। जो मनुष्य नैतिक दृष्टि से मुलजिम थे . . . .

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-What about the judgment of the Supreme Court ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-वही कानून का नुक्स और उस कानून के नुक्स के कारण जो नैतिक रूप में वास्तव में मुलजिम थे वे छोड़े गये। इस कानून की मन्शा, जो बिल हाउस के सामने प्रस्तुत हुआ, है केवल इतनी है कि जो कानून दूसरे राज्यों में थे, जिन पर अमल होता रहा है, जिनकी आवश्यकता थी राज्य में, नैतिक धरातल को कायम रखने के लिए, जिन पर अमल होता रहा, लेकिन, हमारे वकीलों की विलक्षण और तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा छोटे-मोटे नुक्स निकाले गये और अदालत में मुलजिमों को उनका फायदा मिला, उन नुक्सों को, उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए यह जयपुर लॉज वेलिडेटिंग बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं नहीं कह सकता कि इतनी निर्दोष चीज के विषय में भी विरोधी पक्ष के द्वारा विरोध क्यों किया गया? इसमें देरी करने का प्रयत्न किया जायगा, मैं कभी ऐसी आशा नहीं करता था। हो सकता है कि वे कुछ मुलजिमों को और फायदा दिला दें, लेकिन उससे जनहित होने की सम्भावना ही है। जिन लोगों के ऊपर अफीम के मामले चल रहे हैं, या कोई ऐसी चीज हो कि उनको लाभ मिल सकता हो तो व्यक्तिगत लोगों को। जनहित को ही होगा, इस प्रकार की देरी करने में वह मेरी समझ में नहीं आता। मैं अपील करता हूं विरोधी दल के नेता और विरोधी दल से कि जिस भावना का वे दावा करते रहते हैं कि वे सही कामों में हमेशा

ही सहयोग देने के लिए तैयार हैं तो इससे ज्यादा सही चीज आज तक नहीं हुई। उसे मान लिया जाय और जो छोटे-मोटे नुक्स हैं उन नुक्सों को दूर कर दिया जाय और न्याय का रास्ता सुगम बनाया जाय। मैं समझता हूं कि मेरी इस अपील को सुना जायगा और माना जायगा। और इस पर भी अगर उनको नहीं जचे तो मैं सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इसको उसी दृष्टि से देखें और पास करें।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–You made an appeal ......

श्री अध्यक्ष:–There is no necessity of making a speech. I want to put the motion to vote.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–The .. ..

श्री अध्यक्ष:–No, no. The question is that the Jaipur Laws Validating Bill be taken into consideration.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–It is just a statement, Sir. If you permit, Sir, I will make it; otherwise I am not fond of delivering speeches.

(विराम)

माननीय सदन के नेता ने जो मुझसे सहयोग की अपील की है। मैं समझता हूं कि उनको स्मृति इतनी अल्पायु की नहीं होनी चाहिए थी। अभी अभी जो पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में एमेन्डमेंट था उसके लिए सरकार की ओर से कहा गया था कि मैं उसे वापिस ले लूं। मुझे दुःख है कि वे इस बात को भी नहीं समझते और इस प्रस्ताव पर उन्होंने यह कहा कि हम रोड़े अटकाने के आदी हैं। मैं समझता हूं कि वह भी उस पेशे के एक सदस्य रहे हैं, यदि आज वह मुख्य मंत्री हो गये तो क्या हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल:– इस समय मैंने वह छोड़ रखा है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–मुझे उस समय का इन्तजार करना चाहिए जब कि आप वापिस उस में चले आयेंगे।

तो मैं आपको बताऊं कि कानून की पाबन्दी किसी भी नागरिक पर क्यों कर की जा सकती है जब कि उस कानून का पब्लिकेशन कायदे से नहीं हुआ हो। एक अफीम के मामले की बात को ले लीजिये या शराब के मामले की बात को ले लीजिये। प्रश्न सिद्धान्त का है। उस सिद्धान्त को ही लेकर मैंने अपना संशोधन पेश किया था, मगर आप उसको नहीं मानना चाहते हैं, भूतपूर्व वकील की हैसियत से या वर्तमान मुख्य मंत्रीजी की हैसियत से, तो और बात है।

श्री एच० के० व्यासः–मेरा बिल के सम्बन्ध में कुछ आब्जेक्शन है। बिल के साथ कोई शिड्यूल नहीं है। इसके बारे में नहीं बताया गया है कि कौन–कौन से लॉज को वेलिड करने के लिए यह है।

श्री अध्यक्षः—Where is the reference to the schedule ?

श्री एच० के० व्यासः—I am just.......

श्री इन्द्रनाथ मोदीः–Seventh schedule of the constitution.

श्री अध्यक्षः—That is right.

श्री एच० के० व्यासः–मैं इस बिल पर कुछ बतलाना चाहता हूं, और मेरे मित्र श्री इन्द्रनाथ मोदी ने जो तरमीम रखी है उसका समर्थन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः–On the amendment there is no necessity of making a speech.

श्री एच० के० व्यासः–लेकिन जब कन्सीडरेशन के लिए है तो....

श्री अध्यक्षः–(श्री इन्द्रनाथ मोदी को सम्बोधित करते हुए)
Do you want to put it to vote ?

श्री एच० के व्यास–आप मुझे २ मिनिट देंगे ?

श्री अध्यक्षः–No. Motion moved.

The question is that the amendment put in by Shri Indernath Modi that the Jaipur Laws Validating Bill, 1952, be referred to a Select Committee, whose personnel will be fixed at a subsequent sitting of the House, be passed.

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

श्री अध्यक्षः–The question is that the Jaipur Laws Validating Bill be taken into consideration.

जो इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें और जो इसके विपक्ष में हों व "ना" कहें।

("हां" पक्ष की आवाज क्षीण थी और 'ना' पक्ष की आवाज अधिक)

श्री इन्द्रनाथ मोदीः–Sir, I claim the "Noes" have won.

श्री अध्यक्ष:–I want to make it clear that the louder the voices the more are the chances of a decision favourable by the chair.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–Our voices were louder.

श्री अध्यक्ष:–Do you want a Division once more ?

मैं समझता हूं कि 'ना' पक्ष जीता और 'हां' पक्ष हारा ।

(विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष:–I want to say that unless the voices are louder irrespective of the seeming majority a decision will be declared according to the voices.

श्री रामकिशोर व्यास:–We claim a Division, Sir.

श्री अध्यक्ष:–You claim a Division ?

श्री एच. के. व्यास:–Has not the stage of claiming a division passed ?

श्री अध्यक्ष:–They thought that the "Noes" was theirs.

श्री जसवन्तसिंह:–They should suffer for that.

श्री टीकाराम पालीवाल:–Let the forces be marshalled.

श्री एच. के. व्यास:–I want to raise a point of Order under Rule 97(2).

श्री अध्यक्ष: Will you read the whole of Rule (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) and (h) and then raise the point of order. I think the rules are quite clear.

श्री एच. के. व्यास:–My submission is that the Hon'ble speaker has spoken twice that the Noes had won and thus the stage of Division has passed.

श्री अध्यक्ष:—Rule 97 (4) is quite clear.

(डिवीजन घंटी बजी)

श्री अध्यक्ष—I now again put the motion.

(प्रस्ताव पुनः रखा गया। "ना" पक्ष पुनः जीता)

श्री जयनारायण व्यास:--We claim a Division, sir.

श्री अध्यक्ष:—The decision is that the "Noes" are louder.

(ट्रेजरी बेंचेज की ओर से सदस्य अपने आसन से उठे। इसी समय विरोधी पक्ष की ओर से ध्वनि उठी, "Conceded-Conceded")

श्री अध्यक्ष:-Order, the "Noes" have conceded that the "Ayes" have it and as such my decision is that the 'Ayes" have it.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I think there could be no greater proof of co-operation on the part of the Opposition.

श्री जयनारायण व्यास:—We are very grateful for the co-operation you have given to us.

श्री रामकिशोर व्यास:–मजबूरी के सहयोग के लिये मुबारिकबाद।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I wish you had the grace to understand our attitude.

श्री अध्यक्ष:—Now we come to clause 2 of the Bill.

श्री अध्यक्ष.—Motion moved. The question is "that clause 2 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 2 was added to the Bill.

(विराम)

The Question is.
"That clause 1 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 1 is added to the Bill.

(विराम)

The Question is,
"That the Title and the enacting formula stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

The Title and the enacting formula are added to the Bill.

श्री रामकिशोर व्यास:—Sir I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष:—The question is "that the Bill be passed".

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष:—The Bill is passed.

राजस्थान राजकीय भाषा विधेयक, १९५२

श्री टीकाराम पालीवाल:—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Rajasthan Official Language Bill, 1952, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष:—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

राजस्थान राज्य के राजकीय प्रयोजनों के हेतु हिन्दी भाषा को अपनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री एच. के व्यास:—Sir, I beg to move an amendment to this Motion. My amendment is that the Rajasthan Official Language Bill be circulated for eliciting public opinion.

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर दो बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो बिल का उद्देश्य है कि हम हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी अपनी कार्यवाही में प्रयोग में लायें; धारा सभा का व सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में ही हो; इस सिद्धान्त से मुझे कोई विरोध नहीं। परन्तु मैंने तरमीम पेश इसलिये की है कि जब भाषा के प्रश्न पर यहां सदन में विचार हो रहा है, भाषा के सवाल को लेकर जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, इसके लिए मेरा यह कहना है कि साथ साथ यह भी सोचा जाय कि राजस्थान के अलग २ इलाकों में बोली जाने वाली बोलियां जो हैं और जो भाषा के रूप में सामने आ रही हैं और जिनका ताल्लुक न सिर्फ सरकारी कार्यवाहियों से है बल्कि मैं यह कहता हूं कि जिनका ताल्लुक सदन की कार्यवाही से भी है; हम उनके लिये भी कुछ करें। यहां पर भी हमें उस भाषा को सुनने का मौका मिलता रहता है।

और हम यह कानून केवल शहर में रहने वाले, कुछ पढ़े-लिखे व्यक्तियों के लिए ही नहीं बना रहे हैं। यदि सरकार का हर कार्य इस भाषा में होना शुरू हो जायगा तो इसका तात्पर्य यह होगा कि आगे चल कर कई अदालतों में, रेवेन्यू अदालत में, तहसीलदार के पास, एस० डी० ओ० के पास, लोगों को इस भाषा में अर्जियां पेश करने में दिक्कतें होंगी। इस कायदे को विस्तृत बनाया जाय। चूंकि यह प्रश्न है, जिसका सभी भाषा-भाषियों से ताल्लुक है और बहुत बड़े लिंग्वस्टिक से। मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल पर तुरन्त फैसला करने के बजाय इस प्रश्न को जनमत के लिए आगे भेजें।

दूसरा कारण इसमें अमेन्डमेन्ट रखने का यह है कि कुछ दिनों से जिस प्रकार से हिन्दी भाषा का प्रयोग हो रहा है और में यह साफ कह देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारी सब ही कार्यवाही, हमारा सब ही काम काज हिन्दी में हो। किन्तु में यह इसलिए चाहता हूं कि सामान्य नागरिक भी इसको समझ सकें। जो नतीजा आज हम देख रहे हैं, ऐसी भाषा को व्यवहार में लाया जा रहा है, दूसरों के लिए तो मैं क्या कहूं किन्तु मैं अपने स्वयं के लिए कह सकता हूं कि मुझे तो इसे कई बार समझने में कठिनाई महसूस होती है। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि इस सदन के बाहर जो बोर्ड लगाये गये है उन पर "गेलेरीज" के स्थान पर "दीर्घा" लगाया गया है। यदि उस शब्द के साथ "गेलेरी" शब्द का प्रयोग नहीं होता तो मेरे खयाल से यह "दीर्घा" शब्द किससे ताल्लुक रखता है, मेरी समझ में तो कम से कम नहीं आता। इस प्रकार की एक नहीं अनेक चीजें हैं।

यदि हम इस उद्देश्य से यह बिल रख रहे हैं कि हिन्दी भाषा में काम हो, सामान्य नागरिक को सहूलियतें हों, यदि हम इसे इस उद्देश्य से रख रहे हैं कि हमारे राजस्थान के शहरों के नहीं, देहातों के लाखों लोग, किसानों को राज-काज में दखल करने का हक मिले, उनको मौका मिले, तो यह आवश्यक होगा कि हिन्दी भाषा में, हिन्दी-भाषियों से तैयार कराके, ठीक तरह से तरीका निकाल कर, कायदा बनाया जाय और जिसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कम हो और बोली-चाली की भाषा का हो जाना मुमकिन हो जाय।

हमारे प्रान्त की बोलियां करीब करीब पनप चुकी हैं। उधर बैठने वाले कई सदस्यों की भी यह राय है कि बोलियां अब पनप चुकी हैं। ओपिनियन के लिये भेजे जाने पर हम इसमें तरमीम पेश कर सकते हैं।

मैं इन दो कारणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सदन के नेता मेरी बात को समझकर मेरी तरमीम को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष:— It is not necessary to have a wide discussion; let the Leader of the House give reply.

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, यह बिल पिछले बिल से ज्यादा निर्दोष है। लेकिन जो तरमीम आई है, जिस क्वार्टर से, उस सम्बन्ध में मैं कोई आशा नहीं करता था। इस तरमीम से यह हो सकता है कि किसी न किसी तरह कोई न कोई देर लगे। भाषा को यदि छिन्न-भिन्न किया जाय तो वह भी किया जा सकता है, जहां छिन्न–भिन्न करने का ही मकसद हो, वहां ऐसा क्यों नहीं किया जाय। ("हंसी" ट्रेजरी बेन्चेज से) मैं समझता हूं कि सदन के सब सदस्य समझ सकते हैं, और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हिन्दी भाषा इस प्रान्त की भाषा है और वह राजकीय भाषा होनी चाहिए। यह कहा गया कि लिखे–पढ़े भी नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है और न भी समझ सकते हों। किन्तु उनको समझने का प्रयत्न करना होगा। आपकी

भाषा पढ़े-लिखों की भाषा हो सकती है। राजकीय भाषा भी पढ़े-लिखों की हो सकती है; किन्तु यदि बिना लिखे-पढ़े लोग नहीं समझ सकते तो इसके मायने यह नहीं हैं कि भाषा के स्तर को गिराना है।

भाषा को सरल किया जाय, यह दूसरा प्रश्न है। यदि हम इसे हर एक तरीके में बांटने लगेंगे तो भाषा का फिर व्यवस्थित रूप नहीं रह सकता है। अत: मैं इसे आवश्यक नहीं समझता। जो अमेन्डमेन्ट मोशन पेश किया गया है मैं उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं और इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष:—The question is that Rajasthan Official Language Bill, 1952 be circulated for Public opinion.

(अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Official Language Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

Clause 2

श्री अध्यक्ष:—Motion moved.

(विराम)

Does the House want any discussion ?

(कोई नहीं बोले)

श्री अध्यक्ष:—Now the question is "that Clause 2 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

Clause 1

श्री अध्यक्ष:—Motion moved. The Question is:—

"That Clause 1 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Title and enacting formula.

श्री अध्यक्ष:—Motion moved. The Question is.—

"That the Title and the enacting formula stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

The title and the enacting formula are added to the Bill.

श्री टीकाराम पालीवाल:—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill be passed

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The question is; "That the Bill be passed"

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष—The Bill is passed.

मारवाड़ शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक

श्री रामकिशोर व्यास—Sir, I beg to move that the Marwar Pure Food (Amendment) Bill, 1952 be taken into consideration.

मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना निवेदन करना है कि जैसलमेर और सिरोही दोनों ही जिलों में ऐसा कोई कानून लागू नहीं है कि जिसके जरिये खाने के पदार्थ में की जाने वाली मिलावट को रोका जा सके इसलिये जोधपुर का प्योर फूड एक्ट वहां भी लागू करने के लिये यह एमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—इस कानून का कुछ हिस्सा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिये इसे कुछ साफ किया जाय तो अच्छा हो। इसकी धारा १३ में एमेन्डमेन्ट ओफ शिड्यूल में लिखा है, "The words 'Jodhpur State' shall be omitted and in their place space shall be left to be appropriately filled up" और इसी तरह से धारा ५ के सब-सेक्शन (३) में लिखा है "(iii) for the word "Marwar" occurring in Sub-section (3), the words, brackets and figures "the areas to which it has been extended under Sub-section (ii) section 1" shall be substituted." लेकिन इसमें एरिया का कोई जिक्र नहीं है। एक के बजाय २ लिखा जाय तो जोधपुर....

श्री अध्यक्ष—I want to know whether you have any objection to the principle of the Bill. When the consideration stage of the Bill comes you can raise your point and the Member in-charge will have an opportunity to explain to you.

श्री हरिकृष्ण व्यास I have no objection to the principle of the Bill.

श्री अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि मारवाड़ शुद्ध खाद्य अधिनियम, १९४६ (संख्या १६, १९४६) को जैसलमेर और सिरोही के जिलों में लागू करने व अन्य प्रयोजनों के लिये संशोधन करने वाला विधेयक, विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

(Clause 2)

श्री अध्यक्ष—The question is; "That Clause 2 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

The clause 2 is added to the Bill.

(Clause 3)

श्री अध्यक्ष:—The question is; "that Clause 3 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(Clause 4)

श्री अध्यक्ष:--The question is, "that Clause 4 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

(Clause 5)

श्री अध्यक्ष:—The question is, "that Clause 5 be added to the Bill."

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Will the Hon'ble Minister please read out the entire section of the principal Act which he wants to be amended.

श्री रामकिशोर व्यास:—

"**5**. *Amendment of section 5:*—In section 5 of the principal Act,

(*i*) for the word "Minister-in-Charge" occurring in sub-section (1), the word "Government" shall be substituted,

(*ii*) the words "throughout Marwar or" occurring in sub-section (2) shall be omitted, and

(*iii*) for the word "Marwar" occurring in sub-section (3) the words, brackets and figures "the areas to which it has been extended under sub-section (*ii*) of section 1" shall be substituted."

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—It does not read sense at all. I think there is some mistake.

श्री अध्यक्ष:—I think the meaning is "the areas to which it has been extended under sub-section (ii) of section 1" should be bracketted. This was the sense and this should be avoided.

(विराम)

It is after all a verbal mistake.

(विराम)

Is the leave of the House given for the withdrawal of the

words "brackets and figures" occurring in clause 5 (iii) of the Bill.

(स्वीकृत)

The words "brackets and figures" are withdrawn.

Clause 5.

The question is, "that Clause 5 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 5 is added to the Bill.

(Clause 6)

श्री अध्यक्ष:–The question is, "that Clause 6 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 6 is added to the Bill.

(Clause 7)

श्री अध्यक्ष:–The question is, "that Clause 7 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Clause 7 is added to the Bill.

(Clause 8)

The question is that clause 8 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 8 is added to the Bill.

(Clause 9).

श्री अध्यक्ष—The question is, "that Clause 9 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 9 is added to the Bill.

(Clause 10).

श्री अध्यक्ष—The question is; "that Clause 10 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 10 is added to the Bill.

(Clause 11)

श्री अध्यक्ष—The question is; "that Clause 11 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 11 is added to the Bill.

(Clause 12).

श्री अध्यक्ष – The question is; "that Clause 12 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 12 is added to the Bill.

(Clause 13)

श्री एच. के. व्यास.—I want the Hon'ble Minister to........

श्री रामकिशोर व्यास:–मेरे दोस्त यदि इस एक्ट में दी गई शिड्यूल को मुलाहिजा करते और उसकी तरफ ध्यान देते तो उनका यह शक दूर हो जाता। "जोधपुर स्टेट" वर्ड है उसको हटाया जावे और उसकी जगह जो कोई वर्ड लगाना चाहें लगा दिया जावें। इसलिये वर्ड "जोधपुर स्टेट" काट दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष:—The Question is; "That the clause 13 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 13 is added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—The question is; "that the Clause 1 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 1 is added to the Bill.

श्री अध्यक्ष:—The question is; "that the Title and the enacting formula stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

The Title and the enacting formula are added to the Bill.

Shri R. K. Vyas:—I beg to move that the Marwar Pure Food (Amendment) Bill, 1952, be passed.

Speaker: —The question is; "that the Bill be passed."

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष: -- The Marwar Pure Food (Amendment) Bill is passed.

(विराम)

We adjourn now till tomorrow 8.30 A.M.

(स्वीकृत)

(इसके पश्चात सदन १२-१० बजे, शुक्रवार तारीख २४ अक्टूबर, १९५२ ई० के प्रातःकाल ८–३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

सभा भवन
जयपुर
२३ अक्टूबर, १९५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर.

———

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि समय-समाप्ति के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न संख्या ११५

श्री छीतरलालः—क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:-

बूंदी जिले की ग्राम पंचायतों का समय पर चुनाव क्यों नहीं हुआ?

श्री छीतरलाल, एम. एल. ए. के तारांकित प्रश्न संख्या का उत्तर।

बूंदी जिले की ग्राम पंचायतों के चुनाव की अवधि ज्यों ज्यों समाप्त होती गई तीन साला, चुनाव शुरू कराया गया परन्तु, बरसात की मौसम आजाने से कुछ दिनों के लिए स्थगित करने पड़े जो वर्षा समाप्त होते ही पुनः आरम्भ कर दिये गये और अब करीब करीब सब पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं या होने ही वाले हैं।

चूंकि पंचायतों ने पहले चुनाव के बाद देर से कार्य आरम्भ किया था जिससे ऊपर का कार्यकाल कोइ खास अवैधानिकता पैदा नहीं करता।

प्रश्न संख्या ११६

श्री भैरुसिंहः—क्या मंत्री महोदय, रेवेन्यु एवं कृषि विभाग बतलाने की कृपा करेंगे:-

(अ) बाली, देसूरी तहसीलों में कितने कृषि Demonstration फार्म थे तथा उन पर वार्षिक खर्च कितना होता था?

(ब) इन फार्मों ने अपने उद्देश्यों में कहां तक सफलता प्राप्त की थी?

(स) सरकार की दृष्टि में यह सफलता संतोषजनक थी?

(ड) यदि "स" का उत्तर "हां" में है तो क्या सरकार को इसके कारणों को जान पाई है?

(इ) कृषि उन्नति के लिये Demonstration फार्म सहायक सिद्ध हो सकेंगे?

Reply

(1) There is only one demonstration farm in Bali and Desuri Tehsils that is located at present in Tehsil Bali. The expenditure of that farm for the year 1951-52 is Rs. 4619/9/6.

(2) For want of proper facilities Bali farm which is also a very small farm in area appreciable success cannot be achieved. In view of this it is proposed to close down this farm and at a later date establish a demonstration farm where and when facilities would be made available.

(3) No.

(4) For reasons mentioned in (2) above nothing substantial can be achieved.

(5) Demonstration farm could serve useful purpose in the development of agriculture but for their success the farms should be sufficiently big and supervision of proper officers is available. In the present financial state of the Government it is proposed to close down the farms of uneconomic holding and situated away from district head-quarters of the Department.

———